

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2023—आषाढ़ 2, शक 1945

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2023

क्र. ई-1-85-2023-5-एक.—श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007), वि. क. अ.-सह-संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल विहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. ई-1-183-2021-5-एक.—श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे (2002) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार कार्मिक, लोक

शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016-1-87-EsII.(A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधान अनुसार "श्री बी. चन्द्रशेखर" "(SHRI B. CHANDRASHEKHAR)" नाम परिवर्तित कर अब उनका नाम "श्री समान शेखर" "(SHRI SAMAN SHEKHAR)" दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब, उन्हें "श्री समान शेखर" "(SHRI SAMAN SHEKHAR)" नाम से जाना जाएगा।

क्र. ई-1-95-2023-5-एक.—श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग घोषित किया जाता है।

6359

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. ई-1-76-2023-5-एक.—श्री राकेश सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-90-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जॉन किंगसली ए. आर. (2004), आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
2.	श्रीमती स्वाति मीणा नायक, (2007), प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
3.	श्री गोपाल चन्द्र डाड (2008), वि. क. अ.-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं संचालक, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, मध्यप्रदेश.	वि. क. अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वि. क. अ.-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं संचालक, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
4.	श्री अभिषेक सिंह (2009), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	—
5.	श्री रत्नाकर झा (2012), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री संजय कुमार जैन (2016), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे (1995), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(6) श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(7) श्री मुकेश चन्द गुप्ता, भाप्रसे (1998), वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(8) श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(9) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(10) श्री मनोज पुष्प, भाप्रसे (2011), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(11) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(12) उपरोक्तानुसार श्री अनिरुद्ध मुकर्जी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(13) उपरोक्तानुसार श्री सचिन सिन्हा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999), वि. क. अ.-सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(14) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(15) उपरोक्तानुसार श्री पी. नरहरि द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(16) उपरोक्तानुसार श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

क्र. ई-1-255-2021-5-एक.— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, मानव संसाधन विकास निदेशालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-152-050-2021-CMD-III-1320, दिनांक 4 जून 2021 द्वारा श्री राजीब जैन, आई. आर. एस. (2001) की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन को सौंपी गई थी।

(2) श्री राजीब जैन, आई. आर. एस. (2001), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, भोपाल की सेवाएँ राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, मानव संसाधन विकास निदेशालय, नई दिल्ली को लौटाई जाती है।

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

क्र. ई-5-1045-आयएस-लीव-5-एक.— श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे (2016), अपर कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 19 से 30 जून 2023 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 जून एवं 1, 2 जूलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जून 2023

क्र. ई-5-1048-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे, विकअ-गह-आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 27 जुलाई 2023 का नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

क्र. एफ 1344855-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सायबर सेल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 7 से 15 जुलाई 2023 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित यूरोप स्थित Scandinavia with Tallinn की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सायबर सेल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2023

क्र. एफ 1(ए) 26-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री असित यादव, भापुसे, सेनानी, दूसरी बाहिनी, विसबल, ग्वालियर का दिनांक 23 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक, ब्यालीस दिवस को लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 84 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री असित यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असित यादव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जून 2023

फा. क्र. 803-2021-इक्कीस-ब(एक)-2023 (मेरिट क्रमांक 02).—राज्य शासन, श्री सचिन द्विवेदी पुत्र श्री हरीश द्विवेदी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2017 (यथा संशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070-संशोधित वेतनमान रुपये 144840-194660 (Level-J-5) में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

श्री सचिन द्विवेदी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर, 1986 है।

फा. क्र. 804-2021-इक्कीस-ब(एक)-2023 (मेरिट क्रमांक 01).—राज्य शासन, श्री राजेश भण्डारी पुत्र श्री करण सिंह भण्डारी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2017 (यथा संशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070-संशोधित वेतनमान रुपये 144840-194660 (Level-J-5) में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

श्री राजेश भण्डारी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उनकी जन्मतिथि 10 मार्च, 1979 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2023

फा. क्र. 2990-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री सुरभि सेठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बैद्वन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), बैद्वन, जिला सिंगरौली का व्यवहार न्यायाधीश "कनिष्ठ खण्ड" के पद से त्याग-पत्र दिनांक 10 जून 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ. 2-01-10001-2023-अठारह-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् आयटम क्रमांक-14, दिनांक 24 जनवरी 2023 के परिपालन में, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जिन महिला स्व-सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है, उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान सुविधा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करता है.

(2) राज्य शासन द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जाएगी तथा यह लाभ प्रति समूह 03.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा.

नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव.

### मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

क्र. 826-1364066-2023-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री भरत सिंह, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 19 जून से 23 जूलाई 2023 तक, कुल पैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री भरत सिंह, संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री अनुराग चौधरी, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील मड्गावी, अपर सचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मई 2023

प. क्र. 3386-डिएमछि.-एस.डब्ल्यू.-2023.—छिन्दवाड़ा शहर में भारी वाहनों के कारण आये दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार-पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति छिन्दवाड़ा की बैठक दिनांक 8 मई 2023 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश छिन्दवाड़ा नगरपालिक निगम सीमा में प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है :—

भारी माल वाहक जैसे ट्रक / डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर का नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा की सीमा में प्रवेश प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. उक्त अवधि में प्रतिबंधित वाहन आवागमन हेतु बायपास मार्गों का उपयोग कर सकेंगे.

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—

1. पुलिस तथा आर्मी के वाहन
2. नगर निगम के वाहन (फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, कचरा गाड़ी आदि वाहन).
3. निर्वाचन कार्यों में लगे वाहन
4. विद्युत मण्डल के कार्यों में संलग्न वाहन
5. एल. पी. जी. / पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
6. स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
7. बैंकों में लगे वाहन
8. शासकीय खाद्यान्न एवं उर्वरक परिवहन में लगे वाहन

उक्त आदेश आज दिनांक 24 मई 2023 को जारी किया जाता है जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा.

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशांसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा को अधिकृत किया जाता है.

शीतला पटले, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश**

नीमच, दिनांक 30 मई 2023

क्र. 1234-नामकरण समिति-2023.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन के परिपत्र क्र. 19-24-2019-एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं।

जिलास्तरीय समिति, जिला नीमच द्वारा दिनांक 7 मई 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से नीमच मेडिकल कॉलेज का नामकरण "श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज नीमच" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः, नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम "श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज नीमच" पढ़ा / लिखा जावे।

दिनेश जैन, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश**

पन्ना, दिनांक 18 अप्रैल 2023

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को पन्ना जिला अन्तर्गत 25वीं राष्ट्रीय यूथ बॉलीवाल प्रतियोगिता 2022 के समापन कार्यक्रम में वचुअल उद्बोधन के दौरान की गई घोषणा "तलैया फील्ड का नाम श्री जुगल किशोर जी के नाम किया जायेगा" की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा की उक्त घोषणा के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 में दिये गये निर्देश जिसमें शासकीय भवनों सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम करने हेतु गठित जिलास्तरीय समिति को अधिकृत किया गया है। उक्त संबंध में दिनांक 30 जनवरी 2023 को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, जिला पन्ना की अध्यक्षता एवं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय वि. स. क्षेत्र-60 पन्ना, माननीय अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, पन्ना की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई।

उक्त आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश द्वारा की गई उक्त घोषणा "तलैया फील्ड का नाम श्री जुगल किशोर जी के नाम किया जायेगा" का प्रस्ताव रखा गया। चर्चा उपरांत बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश द्वारा की गई घोषणा का समर्थन करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तलैया फील्ड पन्ना का नाम अब से "श्री जुगल किशोर जी स्टेडियम" रखा जाता है।

एतद्वारा शासन के निर्देशों एवं समिति के निर्णय के परिपेक्ष्य में आम सार्वजनिक जनता को सूचित किया जाता है कि पन्ना स्थित तलैया फील्ड का नाम "श्री जुगल किशोर जी स्टेडियम" रखा जाता है।

संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश**

आगर-मालवा, दिनांक 19 अप्रैल/मई 2023

क्र.-सामान्य-2023-189.—प्राचार्य/सचिव, जनभागीदारी शासकीय महाविद्यालय, नलखेडा, जिला आगर-मालवा के पत्र क्रमांक 2051-स्था-23, दिनांक 31 जनवरी 2023 अनुसार जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 6 मई 2017 में शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-19-2003-एक-4 भोपाल, दिनांक 28 जून, 2004 व उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देशानुसार व जिला योजना समिति की बैठक में शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नाम "सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय" करने का प्रस्ताव पारित किया जाने से शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नाम "सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय नलखेडा" के नाम पर किया जाता है।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कैलाश वानखेड़े, कलेक्टर.

**कार्यालय, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 जून 2023

क्र. एफ-1-1-23-रा. स.-यू. ए.-1-622.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, एतद्वारा, प्रो. शुभा तिवारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए, के लिए महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिणियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

**कार्यालय, आयुक्त भू अभिलेख, मध्यप्रदेश**  
**प्रारूप बारह**  
**(नियम 10 देखिए)**  
**मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020**

क्र.-652-भू-सर्वेक्षण-147854-2023

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

ग्वालयर, दिनांक 16 जून 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए हैं :-

**अनुसूची**

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शयोपुर	विजयपुर	अगरा (मूल ग्राम) पालपुर (मजरा टोला) पैरा (मजरा टोला) मेघपुरा (मजरा टोला) जखौदा (मजरा टोला)	04	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
2	शयोपुर	विजयपुर	डोंडरीकलां (मूल ग्राम) अहिरवानी (मजरा टोला) खजूरीकलां (मजरा टोला)	50	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
3	शयोपुर	विजयपुर	किशनपुरा (मूल ग्राम) नयागांव (मजरा टोला) पीपलबावडी (मजरा टोला)	01	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)
4	शयोपुर	विजयपुर	उमरीकलां (मूल ग्राम) खेडा (मजरा टोला) बसंतपुरा (मजरा टोला)	05	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख.



**राज्य शासन के आदेश**  
**राजस्व विभाग**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,**  
**राजस्व विभाग**

क्र.-01-अ-82-2022-2023

भोपाल, दिनांक 19 जून 2023

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बड़ी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम मीरपुर वीरांन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मीरपुर वीरांन	1.125	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन।

**अनुसूची-2**

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अशोक आ० रामसिंह सिसोदिया , निवासी बैरागढकलां	369/3/1	0.7270	0.018
2.	कलाबाई बेवा लीलाकिशन, दौलतराम, सावित्रीबाई, लक्ष्मीबाई आ० लीलाकिशन साहू ,निवासी भैसाखेडी	302/1/1	0.1850	0.017
3.	रामसिंह आ० परसराम देशवाली, निवासी बैरागढकलां	303 306/3/1 2 कित्ता	2.0720 0.5560 2.6280	0.063 0.123 0.186
4.	धनलाल, मदनलाल आ० रामसिंह, निवासी बैरागढकलां	237/1	0.3530	0.016
5.	भागीरथ आ० नर्बदाप्रसाद, निवासी भोपाल	239/1	0.0510	0.039
6.	बट्टूलाल माली आ० हरचन्द माली, निवासी भौरी	146/1 145/1 148 3 कित्ता	0.2890 0.6590 0.2200 1.1680	0.031 0.049 0.022 0.102

7.	रवि गुप्ता आ० के० सी० गुप्ता, निवासी नई दिल्ली	62/1	0.4390	0.099
		60/1	1.4700	0.047
		64/1	0.5670	0.100
		57/1	0.4530	0.009
		4 किता	2.9290	0.255
8.	मनिन्दर जुनैजा आ० गरुवचन सिंह, नि. भोपाल	52/1/1/1	0.0040	0.004
		51/1/2/1	0.0400	0.004
		51/1/3/1	0.0510	0.041
		3 किता	0.0950	0.049
9.	रामस्वरूप आ० दुलीचंद, निवासी भौरी	51/1/1/1	0.300	0.027
10.	रघुवीर प्रसाद, रामस्वरूप, लखन, सुगनबाई, रूपालीबाई आ. दुलीचंद, निवासी, भौरी	49/1	0.0170	0.0170
11.	रमाकान्त गुप्ता आ० राधेश्याम गुप्ता	47/1	0.190	0.078
12.	नेहा चन्द्रवंशी पत्नी अमित चन्द्रवंशी, निवासी भोपाल एवं फात मुज्जोहरा पत्नी सै० वाजिद अली, नि. भोपाल	16/1	0.2170	0.096
		46	0.1000	0.007
		2 किता	0.3170	0.103
13.	मो० असगर कुरैशी आ० खलील अहमद, कुरैशी, निवासी भोपाल	5/1	0.3090	0.095
		17/1	0.7160	0.109
		2 किता	1.0250	0.204
14.	इमरतलाल आ० खुशीलाल	302/2	0.0450	0.012
15.	भैरव पाण्डे आ० डी० डी० पाण्डे, निवासी भोपाल	52/1/2	0.0070	0.002
16.	सुशीलाबाई पत्नी ओमप्रकाश	244/2/2/2	—	1 ट्यूबवेल
	कुल योग	26 किता	10.037	1.125

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 6 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2022-23 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची -1

- 1 परियोजना का नाम :- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना  
2. भूमि का विवरण :-  
1 जिला :- सीहोर  
2 तहसील :- श्यामपुर  
3 ग्राम :- बमुलिया दोराहा  
4 पटवारी हल्का नंबर :- 26  
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 3.639 हैक्टेयर

अनुसूची -2

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित भूमि का प्रकार	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा	भूमि पर स्थिति परिसंपत्तियाँ
1	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल	10	सिंचित	1.850	0.155	आम-1
2	फातम बी बेवा हमीद अली, जाहिद अली आ. हमीद अली	4/2/1	सिंचित	1.491	0.190	बबूल-2 इमली-1 पीपल-1 कुल-4
3	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल	14/1/1	सिंचित	0.793	0.030	
4	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल	14/2/1	सिंचित	1.287	0.067	
5	मकसूद अली, इरशाद अली, अशफाक अली, बाहीद अली पुत्रगण इरशाक अली, बन्नो बी बेवा इरशाक अली, रईशा, लइका, तमन्ना, सलमा पुत्रियां इरशाक अली	3/1	असिंचित	0.750	0.165	बबूल-20

6	मकसूद अली, इरशाद अली, अशाफाक अली, बाहीद अली पुत्रगण इरशाक अली, बन्नो बी बेवा इरशाक अली, रईशा, लइका, तमन्ना, सलमा पुत्रियां इरशाक अली	2/1/1	असिंचित	2.239	0.221	बबूल-10
7	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल	15/4/1	सिंचित	0.331	0.043	
8	दिलीप आ० मांगीलाल	183/2/4/2	सिंचित	0.029	0.011	
9	दिलीप आ० मांगीलाल	183/1/4/2	सिंचित	0.056	0.009	
10	ओमप्रकाश आ० रामलाल	157/4	सिंचित	0.284	0.022	
11	मांगीलाल आ० रामलाल	158/1	सिंचित	0.324	0.019	
12	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल	43	सिंचित	0.854	0.010	
13	ओमप्रकाश, मांगीलाल आ. रामलाल	44/3	सिंचित	0.304	0.008	
14	सोरम बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि जसमत सिंह	42/1	सिंचित	1.109	0.006	
15	सोरम बाई पत्नि जसमत सिंह	11/2	सिंचित	1.561	0.008	
16	रामचरण आ० कनीराम	177/1, 178/1	सिंचित	1.619	0.070	
17	राजेन्द्र कुमार आ० रामनारायण	177/2, 178/2	सिंचित	2.521	0.030	
18	बनवारीलाल आ० मांगीलाल	185/1/2	सिंचित	0.138	0.026	
19	विश्राम सिंह आ० कमलसिंह	201/4, 308/4	सिंचित	0.466	0.085	आम-2, बबूल-4 पलारा-2 कुल 08
20	निर्मल सिंह आ० जगन्नाथ	208/4, 209	सिंचित	0.886	0.122	
21	चन्द्रप्रकाश, ज्वालाप्रसाद आ. गोविन्दराम	210	सिंचित	0.777	0.122	
22	बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ० हीरालाल	558/2	सिंचित	0.769	0.006	
23	हीरालाल आ० झनक सिंह	558/1	सिंचित	1.474	0.019	
24	बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ० हीरालाल	557/9	सिंचित	0.170	0.042	

25	बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ0 हीरालाल	557 / 11	सिंचित	0.303	0.035	1 नलकूप
26	हीरालाल आ0 झनक सिंह	549 / 1, 549 / 2	सिंचित	0.636	0.122	
27	हीरालाल आ0 झनक सिंह	547 / 2 / 1	सिंचित	0.392	0.091	
28	बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ0 हीरालाल	548	सिंचित	0.081	0.006	
29	बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ0 हीरालाल	680 / 549 / 1	सिंचित	0.121	0.016	
30	हीरालाल आ0 झनक सिंह	550 / 1 / 2 / 1	सिंचित	0.474	0.051	
31	घनश्याम आ0 छोटैराम	612 / 1	सिंचित	0.862	0.099	
32	अशोक आ0 रामस्वरूप	612 / 3	सिंचित	0.631	0.138	
33	गुलाब सिंह आ0 हीरालाल	602 / 2	सिंचित	1.890	0.088	मकान-1, शौचालय-1, आम-4, बैर-1, ईमली-1
34	विश्राम सिंह आ0 राधेकिशन	602 / 1	सिंचित	1.894	0.090	नलकूप-1, आम-14, नीबू-1, ईमली-1, बैर-1, मकान-1, शेड-1
35	प्रर्थाराम आ0 हीरालाल	599 / 1	सिंचित	1.100	0.164	
36	गेंदालाल आ0 रामसिंह	609 / 2 / 2 / 1	सिंचित	0.283	0.226	
37	सुरेश आ0 रामसिंह, रामेश्वरी पत्नि रामसिंह	609 / 2 / 2 / 2	सिंचित	0.368	0.110	
38	देवकी बाई पत्नि राधेश्याम	615 / 7	सिंचित	0.809	0.152	
39	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ0 मदनलाल	44 / 2	सिंचित	0.506	0.017	
40	बनवारीलाल आ0 मांगीलाल	187 / 1 / 2 / 2	सिंचित	0.069	0.069	
41	ओमप्रकाश आ. रामलाल	158 / 3 / 1 / 2	सिंचित	0.141	0.035	मकान-1
42	विश्रामसिंह आ0 कमलसिंह	201 / 308 / 6	सिंचित	0.081	0.038	
43	हीरालाल आ0 झनक सिंह	557 / 5	सिंचित	0.162	0.004	
44	हीरालाल आ0 झनक सिंह	557 / 10	सिंचित	0.172	0.161	
45	राधेश्याम आ0 रामसिंह	613 / 1	सिंचित	0.498	0.179	
46	राधेश्याम आ0 रामसिंह	609 / 2 / 1	सिंचित	0.765	0.069	
47	राजू आ0 रामसिंह	609 / 2 / 2 / 3	सिंचित	0.324	0.193	
सम्पूर्ण कुल योग		सम्पूर्ण कुल किता 47		34.644	3.639	

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना हेतु।

4. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सीहोर तथा परियोजना प्रशासक उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिमी मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

सीहोर, दिनांक 14 जून 2023

## शुद्धिपत्र

प्रकरण क्रमांक 0005/अ-82/2022-23- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन के तहत प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 फरवरी 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नंबर एवं क्षेत्रफल में विसंगतिया पाई गई तथा इसके अतिरिक्त आबादी भूमि पर स्थित मकानों का प्रभावित होना भी पाया गया है, जिनका नियमानुसार दुरुस्तीकरण तथा जांच कराया गया, उक्त दुरुस्तीकरण एवं जांच के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पूर्वोक्त अधिसूचना धारा-19 में अंकित  
(संशोधन योग्य)

क्र	आवेदक का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
49	बाबू खां आठ मोर खां	237/4	0.690	नीम, सुबुल कुल 05 वृक्ष
51	आदिल आठ सलीम परवेज	237/2/1	0.035	निरंक

## वर्तमान संशोधित/अद्यतित

क्र	आवेदक का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
49	बाबू खां आठ मोर खां	237/4	0.214	नीम, सुबुल कुल 05 वृक्ष
51	आदिल आठ सलीम परवेज	237/2/1	0.172	निरंक
56	मुन्नी बी पत्नी सईद खां	237/5/1	0.095	निरंक
57	आदिल आठ सलीम परवेज	237/7/1/1	0.209	निरंक

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची-2 में ग्राम झरखेडा अंतर्गत रेल्वे लाईन से प्रभावित आबादी भूमि में स्थित निम्नांकित मकानों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम	खसरा नंबर	मकान का प्रकार	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	रिमार्क
1	संतोष आठ गोपीलाल अहिरवार	681	लेट-बाथ एवं पानी की टंकी	2.74	1.22	3.34	3.34	
2	ज्ञानवती पत्नी गीताप्रसाद अहिरवार	681	मकान-1	3.96	6.40	25.34	57.09	पानी के टैंक की गहराई 2.13 मीटर
			मकान-1	3.96	6.71	26.57		
			लेट-बाथ-1	2.43	1.22	2.96		
			पानी का टैंक	1.22	1.82	2.22		
3	धनसिंह आठ रामप्रसाद मेहर	681	मकान	3.96	7.62	30.17	53.48	
			मकान	4.26	4.26	18.14		
			लेट-बाथ	2.13	2.43	5.17		
4	पान बाई पत्नी हुकमसिंह मेहर	681	मकान	3.35	9.45	31.65	33.03	
			लेट-बाथ	1.52	0.91	1.38		
5	शबीना पत्नी शफीक अहमद	681	मकान	3.96	7.62	30.17	30.17	
6	मो. नसीम आठ मुकीम खां	681	मकान	6.40	6.09	38.97	38.97	

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

प्र.क्र.-01-अ-82-2023-24

क्रमांक 01/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है।

-: अनुसूची - 1 :-						
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
सीहोर	श्यामपुर/मगरदी कला	भूमि - 4.170 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से रुब प्रभावित हेतु भू-अर्जन		
-: अनुसूची - 2 :-						
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क	
1	2	3	4	5	6	
1	जान कुंवर बेवा भंवरलाल सतपाल सोलंकी जगपाल सोलंकी आ भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	59/2/1 59/2/2 61/2/1	0.831 0.835 1.265	0.470 0.360 0.340		
2	शिवपालसिंह पुत्र रधुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	61/2/2	3.130	0.870		
3	प्रेम सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/1	2.097	1.360		
4	हरपाल सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/2 59/1/1	1.392 0.700	0.160 0.550		
5	कृष्णकुंवर बाई पत्नी देवराज सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59/1/2	1.142	0.060		
कुल योग :-		8	11.392	4.170		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:- अनुसूची :-

मकानों का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - महुआखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल - 4111.57 वर्ग मीटर

स.क्र.	मकान धारक का नाम पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लंबाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	रिमांक
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह	20	1 (1)	पक्का मकान गाडर (पहला तल)	9.60	7.00	67.20	183.04	
2	सूरजसिंह पिता फतेसिंह		2 (2)						
3	कमला बाई पति विश्रामसिंह		3 (3)	पक्का मकान (दूसरा तल)	9.60	7.00	67.20		
4	विजयसिंह पिता फतेसिंह		4 (4)	कच्चा मकान	12.80	3.80	48.64		
5	जोधाराम पिता गजराज सिंह	20	2	पक्का मकान	12.40	6.90	85.56	85.56	
6	गजराजसिंह पिता गंगाराम	20	3	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	8.78	6.40	56.19	175.07	
				कच्चा मकान	10.20	10.20	104.04		
				टीन शेड	5.60	2.65	14.84		
7	भगवतसिंह पिता गंगाराम	20	4	कच्चा मकान	15.70	3.55	55.74	74.71	
				पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.90	2.75	18.98		
8	हरिओम पिता भगवत सिंह	20	5	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	15.00	3.67	55.05	108.30	
				टीन शेड	15.00	3.55	53.25		
9	नेमसिंह पिता भगवतसिंह	20	6	कच्चा मकान	12.80	6.60	84.48	84.48	
10	हाकमसिंह पिता मोहसिंह	20	7	कच्चा मकान	7.90	6.70	52.93	52.93	
11	भारतसिंह पिता हजारीलाल	20	8	कच्चा मकान	6.50	4.80	31.20	31.20	
12	काशीराम पिता रामसिंह	20	9	कच्चा मकान	6.50	3.70	24.05	24.05	
13	सविताबाई पति हाकमसिंह	20	10	पक्का मकान	8.00	7.60	60.80	60.80	
14	शंकरसिंह पिता जगन्नाथ	20	11 (1)	कच्चा मकान	6.00	4.00	24.00	61.20	
15	रतनसिंह पिता मोहरसिंह		11 (2)		6.20	6.00	37.20		
16	सुन्दर पिता भगवतसिंह	20	12	कच्चा मकान	10.50	3.60	37.80	53.80	
				टीन शेड	4.00	4.00	16.00		
17	मोहरसिंह पिता मोहनलाल	20	13	कच्चा मकान	12.70	7.20	91.44	100.68	परिवार सूची के सरल क्रमांक 21 पर स्थित है।
					3.30	2.80	9.24		
18	ग्यारसीबाई पति मोहनलाल (मृतक)	20	14	कच्चा मकान	7.20	5.80	41.76	41.76	नामांतरण पश्चात कैब वारिसानों को फुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा।
19	हेमसिंह पिता जगन्नाथ	20	15	कच्चा मकान	4.50	4.00	18.00	18.00	
20	मेहरवानसिंह पिता हजारी लाल	20	16 (1)	कच्चा मकान	9.80	3.80	37.24	37.24	
21	बापूलाल पिता जगन्नाथ		16 (2)	पक्का मकान	15.40	7.80	120.12	149.00	
		टीन शेड		7.60	3.80	28.88			



22	भूरसिंह पिता कालूराम	20	17	कच्चा मकान	6.80	3.80	25.84	25.84	
23	हरिसिंह पिता कालूराम	20	18	कच्चा मकान	7.80	6.90	53.82	53.82	
24	पर्वतसिंह पिता कालूराम	20	19	कच्चा मकान	6.90	6.20	42.78	42.78	
25	विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह	20	20	पक्का मकान	7.65	7.60	58.14	58.14	
26	जगदीश पिता कचनसिंह	20	21	कच्चा मकान	7.00	5.30	37.10	37.10	
27	फूलसिंह पिता मुंशीलाल	20	22	कच्चा मकान	7.80	6.40	49.92	49.92	
28	कनीराम पिता जगन्नाथसिंह	20	23	कच्चा मकान	2.80	2.50	7.00	7.00	
29	रूपालसिंह पिता सरजनसिंह	20	24	कच्चा मकान	8.40	6.03	50.65	114.94	
					9.60	3.75	36.00		
					6.90	4.10	28.29		
30	रंगलाल पिता मुंशीलाल	20	25	कच्चा मकान	6.55	6.40	41.92	41.92	
31	शिवनारायण पिता जगन्नाथ	20	26	पक्का मकान गाबर (पहला तल)	5.70	4.50	25.65	42.34	
				पक्का मकान गाबर	4.45	3.75	16.69		
32	रामबाबू पिता जगन्नाथ	20	27	पक्का मकान गाबर (पहला तल)	4.20	4.50	18.90	35.59	
				पक्का मकान गाबर	4.45	3.75	16.69		
33	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	28	कच्चा मकान	6.80	6.00	40.80	40.80	
34	जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह	20	29	कच्चा मकान	7.70	6.80	52.36	52.36	
35	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	30 (1)	पक्का मकान	3.60	6.60	23.76	47.52	
36	जगदीश पिता गनपतसिंह		30 (2)		3.60	6.60	23.76		
37	विजयसिंह पिता फोसिंह	20	31	कच्चा मकान	6.70	6.20	41.54	41.54	
38	लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह	20	32	कच्चा मकान	10.40	6.40	66.56	66.56	
39	पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ	20	33	पक्का मकान	7.50	4.20	31.50	31.50	
40	आजादसिंह पिता हीरालाल	20	34	कच्चा मकान	14.00	6.50	91.00	145.72	
				टीन शेड	7.60	7.20	54.72		
41	सम्पत बाई पति हीरालाल	20	35	पक्का मकान गाबर (पहला तल)	12.00	3.70	44.40	88.80	
				कच्चा मकान (दूसरा तल)	12.00	3.70	44.40		
42	गजराजसिंह पिता बलराम	20	36	पक्का मकान गाबर पट्टी	13.90	3.80	52.82	58.82	
				गैलरी	3.00	2.00	6.00		
43	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	37	कच्चा मकान	7.50	6.70	50.25	70.25	
				टीन शेड	8.00	2.50	20.00		
44	हरिसिंह पिता चैनसिंह	20	38	कच्चा मकान	8.50	6.60	56.10	81.60	
					8.50	3.00	25.50		
45	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	39 (1)	पक्का मकान गाबर (पहला तल)	9.50	7.50	71.25	142.50	
46	काशीराम पिता मांगीलाल		39 (2)						
47	जसवंत पिता मांगीलाल		39 (3)						
48	भजनसिंह पिता मांगीलाल		39 (4)						
49	बनेसिंह पिता मांगीलाल		39 (5)						
50	भजनसिंह पिता मांगीलाल	20	40	कच्चा मकान	11.50	6.30	72.45	72.45	
51	बनेसिंह पिता मांगीलाल	20	41	कच्चा मकान	6.30	6.30	39.69	39.69	
52	हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह	20	42	कच्चा मकान	8.70	3.60	31.32	62.64	
					8.70	3.60	31.32		
53	काशीराम पिता मांगीलाल	20	43	कच्चा मकान	7.00	6.10	42.70	42.70	सरल क्रमांक 48 पर भी मकान होने से परिवार सूची में एक ही स्थान लाभान्वित होने की पात्रता है।
54	मोहरसिंह पिता कनीराम	28	44	कच्चा मकान	10.90	6.30	68.67	86.90	
				टीन शेड	6.75	2.70	18.23		
55	सवित्रिबाई पति सुरजसिंह	20	45	पक्का मकान गाबर पट्टी	8.80	2.70	23.76	23.76	
56	सुन्दरसिंह पिता काशीराम	20	46	कच्चा मकान	12.80	7.00	89.60	116.20	
				टीन शेड	7.00	3.80	26.60		
57	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह	20	47	पक्का मकान	4.10	4.00	16.40	62.70	
				कच्चा मकान	4.00	3.10	12.40		
58	विक्रमसिंह पिता चैनसिंह	20	48	टीन शेड	11.30	3.00	33.90	161.90	
				पक्का मकान गाबर पट्टी	8.60	6.70	57.62		
				पक्का मकान	9.00	7.00	63.00		
					9.60	4.30	41.28		

## महुआखंडा पुरा

स.क.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	18 वर्ष से उपर	विधवा / तलाक़ / अनाथ	परिवार	रिमांक
1	सुमित्रा बाई पति कल्याणसिंह	94/40	1	कच्चा मकान	7.9	6.70	52.93	52.93	
2	गुलाब बाई पति हजारीलाल	94/40	2	कच्चा मकान	6.70	6.70	44.89	44.89	
3	संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह	94/40	3	कच्चा मकान	8.45	6.55	55.35	55.35	
4	श्यामबाई पिता कल्याणसिंह	94/40	4	कच्चा मकान	6.20	4.20	26.04	26.04	धारा 3(क) के अनुसार अपात्र होने से परिवार सूची में शामिल नहीं है।
5	आनन्दीबाई पति रायसिंह	94/40	5	कच्चा मकान	6.35 10.70 6.95	3.50 6.35 4.40	22.23 67.95 30.58	120.75	
6	राधेश्याम पिता नारायणसिंह	94/40	6	कच्चा मकान	8.20	8.15	66.83	66.83	
7	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह	94/40	7	पक्का मकान गाडर	6.80	6.75	45.90	68.10	
				कच्चा मकान	5.55	4.00	22.20		
8	चम्पूबाई पति रामबगस	94/40	8	कच्चा मकान	7.05	5.70	40.19	40.19	
9	अर्जुनसिंह पिता मोतिलाल	94/40	9	कच्चा मकान	6.95	3.60	25.02	25.02	
10	कल्याणसिंह पिता हजारीलाल	94/40	10	कच्चा मकान	6.00	6.85	41.10	41.10	
11	सुरेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह	94/40	11	पक्का मकान गाडर	6.60	6.70	44.22	44.22	सरल क्रमांक 03 पर पत्नी के नाम मकान अंकित है उसी की परिवार सूची में शामिल होने से पृथक से परिवार सूची में अंकित नहीं किया गया है।
12	कनीराम पिता अमरसिंह	94/40	12	कच्चा मकान	11.00	6.50	71.50	71.50	
13	कमलसिंह पिता अमरसिंह	94/40	13	कच्चा मकान	11.20 7.50	4.20 2.60	47.04 19.50	66.54	
कुल योग								4111.57	

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र क्रमांक 156/रीडर/2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 तथा पत्र क्रमांक 374/रीडर/2023 श्यामपुर दिनांक 20.02.2023 के अनुसार संभावित डूब परिवारों की सूची

स.क.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	संभावित पात्र परिवार				रिमांक
					वर्ग	18 वर्ष से उपर	विधवा / तलाक़ / अनाथ	परिवार	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आबादी (महुआखंडा)									
1	भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह	भगवतीबाई	स्वयं	55	पि.वर्ग			1	
2		युवराज	पुत्र	20	पि.वर्ग	1			
3		निकिता	पुत्री	18	पि.वर्ग	1			
4	सूरजसिंह पिता फतेसिंह	सूरजसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
5		सन्दिप	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
6		राकेश	पुत्र	22	पि.वर्ग			1	
7	कमलाबाई पति विश्रामसिंह	कमलाबाई	स्वयं	56	पि.वर्ग		1		
8		गोविन्दसिंह	पुत्र	26	पि.वर्ग			1	
9	विजयसिंह पिता फतेसिंह	विजयसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
10		फतेसिंह	पिता	81	पि.वर्ग			1	
11	जोधाराम पिता गजराजसिंह	जोधाराम	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
12	गजराजसिंह पिता गंगाराम	गजराजसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग			1	
13		सोनू	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
14		भूलीबाई	माता	91	पि.वर्ग		1		

15	भगवतसिंह पिता गंगाराम	भगवतसिंह	स्वयं	58	पि.वर्ग			1	
16	हरिओम पिता भगवतसिंह	हरिओम	स्वयं	41	पि.वर्ग			1	
17	नेमसिंह पिता भगवतसिंह	नेमसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
18		भगवतसिंह	पिता	58	पि.वर्ग			1	
19	हाकमसिंह पिता मोरसिंह	हाकमसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
20	सविताबाई पति हाकमसिंह	सविताबाई	पत्नी	43	पि.वर्ग				प्रधानमंत्री आवास है।
21		मोहरसिंह	पिता	70	पि.वर्ग			1	
22	भारतसिंह पिता हजारीलाल	भारतसिंह	स्वयं	56	पि.वर्ग			1	
23		इन्दर	पुत्र	29	पि.वर्ग	1			
24		आजाद	पुत्र	27	पि.वर्ग	1			
25	काशीराम पिता रामसिंह	काशीराम	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	
26		केशरबाई	माता	80	पि.वर्ग		1		
27	शंकरसिंह पिता जगन्नाथ	शंकरसिंह	स्वयं	54	पि.वर्ग			1	
28		राजू	पुत्र	27	पि.वर्ग			1	
29	रतनसिंह पिता मोरसिंह	रतनसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
30	सुन्दर पिता भगवतसिंह	सुन्दर	स्वयं	32	पि.वर्ग			1	
31	हेमसिंह पिता जगन्नाथ	हेमसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग			1	
32		सुनिल	पुत्र	26	पि.वर्ग			1	
33	मेहरवानसिंह पिता हजारीलाल	मेहरवानसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग	1			
34	बापूलाल पिता जगन्नाथ	बापूलाल	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
35	भूरसिंह पिता कालूराम	भूरसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
36		फूलियाबाई	माता	89	पि.वर्ग		1		
37	हरिसिंह पिता कालूराम	हरिसिंह	स्वयं	50	पि.वर्ग			1	
38	पर्वतसिंह पिता कालूराम	पर्वतसिंह	स्वयं	66	पि.वर्ग			1	
39		गोविन्द	पुत्र	29	पि.वर्ग	1			
40	विश्रामसिंह पिता पर्वतसिंह	विश्रामसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग			1	
41	जगदीश पिता कंचनसिंह	जगदीश	स्वयं	23	पि.वर्ग	1			
42	फूलसिंह पिता मुंशीलाल	फूलसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग			1	
43	कनीराम पिता जगन्नाथ	कनीराम	स्वयं	67	पि.वर्ग			1	एक मकान आबादी में सरल क्रमांक 28 पर एच एक मकान निजी भूमि के प्रपत्र ब के सरल क्रमांक 24 पर स्थित है जिसका मुआयजा भुगतान किया जा चुका है।
44		विनय सिंह	पुत्र	35	पि.वर्ग			1	
45		नेमसिंह	पुत्र	40	पि.वर्ग			1	
46	कृपालसिंह पिता सरजनसिंह	कृपालसिंह	स्वयं	42	पि.वर्ग			1	
47	रंगलाल पिता मुंशीलाल	रंगलाल	स्वयं	57	पि.वर्ग			1	
48	शिवनारायण पिता जगन्नाथ	शिवनारायण	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
49		जगन्नाथ	पिता	73	पि.वर्ग			1	
50	रामबाबू पिता जगन्नाथ	रामबाबू	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
51		तनुजा	पुत्री	18	पि.वर्ग	1			
52	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	दीपसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग			1	
53	जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह	जगदीशसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	
54		गनपतसिंह	पिता	68	पि.वर्ग			1	
55	लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
56		बलमतसिंह	पिता	75	पि.वर्ग			1	
57	पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ	पर्वतसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
58		मोहन	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
59		श्रीओम	पुत्र	21	पि.वर्ग	1			

60	आजादसिंह पिता हीरालाल	आजादसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग		1	
61	सम्पतबाई पिता हीरालाल	सम्पतबाई	स्वयं	73	पि.वर्ग	1		
62	गजराजसिंह पिता बलराम	गजराजसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग		1	
63	सुगनबाई बेवा दयालसिंह	सुगनबाई	स्वयं	63	पि.वर्ग	1		
64	हरिसिंह पिता चैनसिंह	हरिसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग		1	
65	काशीराम पिता मांगीलाल	काशीराम	स्वयं	61	पि.वर्ग	1		
66		सुमेरसिंह	पुत्र	44	पि.वर्ग		1	
67	जसवंत पिता मांगीलाल	जसवंत	स्वयं	70	पि.वर्ग		1	
68	भजनसिंह पिता मांगीलाल	भजनसिंह	स्वयं	65	पि.वर्ग		1	
69		राजेन्द्र	पुत्र	27	पि.वर्ग		1	
70		हाकमसिंह	पुत्र	25	पि.वर्ग		1	
71	बनेसिंह पिता मांगीलाल	बनेसिंह	स्वयं	55	पि.वर्ग		1	
72		जगदीश	पुत्र	28	पि.वर्ग		1	
73	हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह	हरज्ञानसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग		1	
74	मोहरसिंह पिता कनीराम	मोहरसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग		1	
75		ब्रजमोहन	पुत्र	22	पि.वर्ग	1		
76	सावित्रीबाई पति सूरजसिंह	सावित्रीबाई	स्वयं		पि.वर्ग		1	
77	सुन्दरसिंह पिता काशीराम	सुन्दरसिंह	स्वयं	46	पि.वर्ग		1	
78	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग		1	
79	विक्रमसिंह पिता चैनसिंह	विक्रमसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग		1	
आबादी (मंडुआखेडा पुरा)								
80	सुमित्राबाई पति कल्याणसिंह	सुमित्राबाई	स्वयं	49	पि.वर्ग		1	
81	गुलाबबाई बेवा हजारीलाल	गुलाबबाई	स्वयं	86	पि.वर्ग		1	
82	संदीपाबाई पति सुरेन्द्रसिंह	संदीपाबाई	स्वयं	29	पि.वर्ग		1	
83	आनन्दीबाई पति रायसिंह	आनन्दीबाई	स्वयं	52	पि.वर्ग	1		
84	राघेश्याम पिता नारायणसिंह	राघेश्याम	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	
85	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह	लाखनसिंह	स्वयं	41	पि.वर्ग		1	
86	चम्पीबाई बेवा रामबगस	चम्पीबाई	स्वयं	68	पि.वर्ग	1		
87		राकेश	पुत्र	31	पि.वर्ग		1	
88	अर्जुनसिंह पिता मोतीलाल	अर्जुनसिंह	स्वयं	61	पि.वर्ग		1	
89		मोरसिंह	पुत्र	27	पि.वर्ग		1	
90		संजू	पुत्र	22	पि.वर्ग	1		
91	कल्याणसिंह पिता हजारीलाल	कल्याणसिंह	स्वयं	51	पि.वर्ग		1	
92	कनीराम पिता अमरसिंह	कनीराम	स्वयं	78	पि.वर्ग		1	
93	कमलसिंह पिता अमरसिंह	कमलसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग		1	
निजी/शासकीय (मंडुआखेडा)								
94	भरतराम पिता बलवंतसिंह	भरतराम	स्वयं	35	पि.वर्ग	1		
95	कंचनसिंह पिता मुशीलाल	कंचनसिंह	स्वयं	50	पि.वर्ग		1	
96		धीरपसिंह	पुत्र	27	पि.वर्ग	1		
97	मांगीलाल पिता घासीराम	मांगीलाल	स्वयं	61	पि.वर्ग		1	शासकीय भूमि में
98	घीसीबाई पत्नी घासीराम	घीसीबाई	स्वयं	69	पि.वर्ग	1		शासकीय भूमि में
99	बाबूलाल पिता घासीराम	बाबूलाल	स्वयं	53	पि.वर्ग		1	शासकीय भूमि में
100	अयोध्या बाई पत्नी बापूलाल	अयोध्या बाई	स्वयं	55	पि.वर्ग	1		शासकीय भूमि में
101	ब्रजराज पिता बापूलाल	ब्रजराज	स्वयं		पि.वर्ग		1	शासकीय भूमि में
102	मांगीलाल पिता गोरेलाल	मांगीलाल	स्वयं	65	पि.वर्ग		1	शासकीय भूमि में
103		सुरेन्द्रसिंह	पुत्र	25	पि.वर्ग		1	
104		जितेंद्र	पुत्र	24	पि.वर्ग	1		
105	तेजसिंह पिता जसवंतसिंह	तेजसिंह	स्वयं	34	पि.वर्ग		1	
106	राजू हरज्ञान, पप्पू पिता काशीराम	राजू	स्वयं	26	पि.वर्ग	1		शासकीय भूमि में
107		पप्पू	स्वयं	21	पि.वर्ग	1		
108	हेमसिंह पिता जालमसिंह	हेमसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग		1	
109		बहादुर	पुत्र	22	पि.वर्ग		1	
110	बद्रीलाल पिता मानसिंह	बद्रीलाल	स्वयं	58	पि.वर्ग		1	

111		लक्ष्मीनारायण	पुत्र	21	पि.वर्ग			1	
112	रामकलीबाई बेवा गोपालसिंह	रामकलीबाई	स्वयं	76	अजा		1		
113	राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	36	अजा			1	
114	ग्यारसीराम पिता गोपालसिंह	ग्यारसीराम	स्वयं	53	अजा			1	
115		राधेश्याम	पुत्र	22	अजा			1	
116	बटन पिता गोपालसिंह	बटनलाल	स्वयं	50	अजा			1	
117	माखनसिंह पिता रंगलाल	माखनसिंह	स्वयं	26	पि.वर्ग	1			
118	लाखनसिंह पिता जालमसिंह	लाखनसिंह	स्वयं		पि.वर्ग			1	प्रधानमंत्री आवास है।
119	राजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं		पि.वर्ग			1	
120	दिलीप पिता हरिनारायण	दिलीप	स्वयं	25	अजा			1	
121	सरदारसिंह पिता दयाराम	सरदारसिंह	स्वयं	42	अजा			1	
122		दयाराम	पिता	73	अजा			1	
123	माधवसिंह पिता दयाराम	माधवसिंह	स्वयं	28	अजा	1			
124	गुलाबबाई बेवा नन्नूलाल	गुलाबबाई	स्वयं	86	पि.वर्ग		1		
125	भुरेलाल पिता नन्नूलाल	भुरेलाल	स्वयं	55	अजा			1	
126	हरिनारायण पिता नन्नूलाल	हरिनारायण	स्वयं	60	अजा			1	
127	देवसिंह पिता नारायणसिंह	देवसिंह	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
128	गोपाल पिता नारायणसिंह	गोपाल	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
129	नारायणसिंह पिता गंगाराम	नारायणसिंह	स्वयं	68	पि.वर्ग			1	
130	लखपतसिंह पिता सजनसिंह	लखपतसिंह	स्वयं	25	पि.वर्ग	1			
131	ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह	ज्ञानसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
132	गुलाबबाई बेवा जालमसिंह	गुलाबबाई	स्वयं	58	पि.वर्ग		1		
133	सीताराम पिता जालमसिंह	सीताराम	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
134	सोनू पिता हेमसिंह	सोनू	स्वयं	24	पि.वर्ग			1	
135	चन्द्रसिंह पिता जालमसिंह	चन्द्रसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
136		रामस्वरूप	पुत्र	22	पि.वर्ग	1			
137	भगवानसिंह पिता प्रतापसिंह	भगवानसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग			1	
138	प्रतापसिंह पिता जालमसिंह	प्रतापसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग			1	
139		सुनील	पुत्र	25	पि.वर्ग	1			
निजी (मंडुआखेडा पुरा)									
140	फूलसिंह पिता फतेहसिंह	फूलसिंह	स्वयं	52	पि.वर्ग			1	
141	भारतसिंह पिता मांगीलाल	भारतसिंह	स्वयं	70	पि.वर्ग			1	
142		जगदीश	पुत्र	28	पि.वर्ग	1			
143		राजन	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
144		लाखन सिंह	पुत्र	37	पि.वर्ग	1			
145	मांगीलाल पिता अमरसिंह	मांगीलाल	स्वयं	51	पि.वर्ग			1	
146		प्रेमसिंह	पुत्र	32	पि.वर्ग			1	
147		सोनू	पुत्र	29	पि.वर्ग	1			
148	इन्दरसिंह पिता चैनसिंह	इन्दरसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
149		प्रेम बाई	माता	67	पि.वर्ग		1		
150		अचल सिंह	भाई	29	पि.वर्ग	1			
151	हिम्मतसिंह पिता चैनसिंह	हिम्मतसिंह	स्वयं	34	पि.वर्ग			1	
152	जमनीबाई बेवा जगन्नाथ	जमनीबाई	स्वयं	74	अजा		1		
153		रामबाबू	पुत्र	35	अजा	1			
154	अमरसिंह पिता भंवरजी	अमरसिंह	स्वयं	82	पि.वर्ग			1	
155	भूलीबाई पति सरजनसिंह	भूलीबाई	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	
156	अर्जुनसिंह पिता कालूराम	अर्जुनसिंह	स्वयं	41	पि.वर्ग			1	
157		भागवती बाई	माता	91	पि.वर्ग		1		
158	सरजूबाई बेवा बापूलाल	सरजूबाई	स्वयं	80	अजा		1		
159	सन्तराबाई पिता बापूलाल	सन्तराबाई	स्वयं		अजा		1		प्रधानमंत्री आवास है।
160	बनेसिंह पिता बापूलाल	बनेसिंह	स्वयं	54	अजा			1	
161		रामवतार	पुत्र	26	अजा	1			

162	सुगनबाई बेवा जालमसिंह	सुगनबाई	स्वयं	43	पि.वर्ग		1		
163	सुरेन्द्रसिंह पिता गोरेलाल	सुरेन्द्रसिंह	स्वयं	27	पि.वर्ग			1	
164	बादामसिंह पिता जालमसिंह	बादामसिंह	स्वयं	24	पि.वर्ग			1	
165	माखनसिंह पिता जालमसिंह	माखनसिंह	स्वयं	29	पि.वर्ग			1	
166	पेजामसिंह पिता रामसिंह	पेजामसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
167	राकेश पिता रामसिंह	राकेश	स्वयं	28	पि.वर्ग	1			
168	कृपालसिंह पिता रामसिंह	कृपालसिंह	स्वयं	30	पि.वर्ग			1	
169	बापूलाल पिता गवाजी	बाबूलाल	स्वयं	75	पि.वर्ग			1	1 मकान पत्नी केशर बाइ (फोट) के नाम पर दर्ज है। परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।
170	सरजनसिंह पिता गवाजी	सरजनसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
171	अन्तरसिंह पिता गंगाराम	अन्तरसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
172	रायसिंह पिता गवाजी	रायसिंह	स्वयं	41	पि.वर्ग			1	
173	इन्दरसिंह पिता बलराम	इन्दरसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	
174	बलराम पिता गवाजी	बलराम	स्वयं	73	पि.वर्ग			1	
175	रसलबाई बेवा आजादसिंह	रसलबाई	स्वयं	33	पि.वर्ग		1		
176	गोरेलाल पिता गवाजी	गोरेलाल	स्वयं	56	पि.वर्ग			1	
177		गोविन्द	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
178	बद्रीलाल पिता बापूलाल	बद्रीलाल	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	शासकीय भूमि में
179		दुर्गेश	पुत्र	23	पि.वर्ग	1			
180		बापूलाल	पिता	89	पि.वर्ग		1		
181	भूरीबाई पति दयालसिंह	भूरीबाई	स्वयं	49	पि.वर्ग			1	शासकीय भूमि में
182	आजादसिंह पिता कमलसिंह	आजादसिंह	स्वयं	42	पि.वर्ग			1	
183	रामसियाबाई पति राजेश	रामसियाबाई	स्वयं	29	पि.वर्ग			1	
184	रामकैलाश पिता सरजनसिंह	रामकैलाश	स्वयं	22	पि.वर्ग			1	
185		सरजनसिंह	पिता	54	पि.वर्ग			1	
186	भारत पिता मांगीलाल	भारत	स्वयं	52	पि.वर्ग			1	
187	संतोषबाई पति राधेश्याम	सन्तोषबाई	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
188	गोविन्दसिंह पिता नारायणसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	30	पि.वर्ग			1	
189	नारायणसिंह पिता मोतीलाल	नारायणसिंह	स्वयं	71	पि.वर्ग			1	
190	प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
191	संगीताबाई पति रामबाबू	संगीताबाई	स्वयं	37	अजा			1	
192	अनिलसिंह पिता हेमसिंह	अनिलसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
193	रामनारायण पिता शंकरसिंह	रामनारायण	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
194	हेमराज पिता बद्रीलाल	हेमराज	स्वयं	23	पि.वर्ग			1	
195	सरजनसिंह पिता जगन्नाथ	सरजनसिंह	स्वयं	58	पि.वर्ग			1	
196		अचलसिंह	पुत्र	19	पि.वर्ग	1			
197		लखपत सिंह	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
198	भगवानसिंह पिता कमलसिंह	भगवानसिंह	स्वयं	33	पि.वर्ग			1	
199	सन्तराबाई पति हरिप्रसाद	सन्तराबाई	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
200	श्यामसिंह पिता कमलसिंह	श्यामसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग			1	पत्नी संगीताबाई के नाम पृथक से नकाम है किन्तु पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है।
201	रामदयाल पिता कमलसिंह	रामदयाल	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	



202	सीमाबाई पति प्रकाश	सीमाबाई	स्वयं	32	पि.वर्ग		1	पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पति का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है।
203	अनिल पिता प्रीतमसिंह	अनिल	स्वयं	25	पि.वर्ग		1	
204		प्रीतम सिंह	पिता	42	पि.वर्ग		1	
205	राकेश पिता रामबगस	राकेश	स्वयं	31	पि.वर्ग		1	पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है।
206		चम्पीबाई	माता	68	पि.वर्ग		1	
207	विक्रमसिंह पिता रामबगस	विक्रमसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग		1	
208	नवरंग बाई बेवा श्याम सिंह	नवरंग बाई	स्वयं	26	पि.वर्ग		1	
209	भगवान सिंह पिता हरी सिंह	भगवान सिंह	स्वयं	35	पि.वर्ग		1	
210	जानकी बाई बेवा जगन्नाथ	जानकी बाई	स्वयं	75	पि.वर्ग		1	
211	अभयसिंह पिता मांगीलाल	अभयसिंह	पिता	55	पि.वर्ग		1	
पीएम आवास महुआखेडा								
212	दिलीप पिता हरिनारायण (डबल)	दिलीप	स्वयं	25	अजा			
213	रतनसिंह पिता दयाराम	रतनसिंह	स्वयं	33	अजा		1	
पीएम आवास महुआखेडा पुरा								
214	दयालसिंह पिता बापूलाल (डबल)	दयालसिंह	स्वयं	52	पि.वर्ग			
योग -						33	28	150

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081/13/राजस्व-2/2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

- (ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
  5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
  6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपये की सहायता प्राप्त करेगा।
  7. प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।
  8. प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल एक बार पचास हजार रुपये " पुर्नव्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा।
  9. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
  10. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
  11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय
  12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।
  13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।
  14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
  15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।
  16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
  17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
  18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
  19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
  20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
  22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
  23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
  24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। 25. बच्चों के लिये कीड़ा क्षेत्र।
  26. प्रत्येक सौ कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक भवन।
  27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुम्बों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।



28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

30. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 में रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

1- प्रकरण में वृहद स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन होने से प्रभावित परिवारों के इस्थल सत्यापन कार्य में अधिक समय लगने के कारण धारा-19 का विहित अवधि में नहीं हो पाया है सदभाविक विलंब होने से धारा-19(7) के अंतर्गत 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है।

2- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- अधिसूचना में प्रकाशित मकान/परिवार सत्यापन के संबध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

भूमि/मकानों का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर  
 (ख) तहसील - श्यामपुर  
 (ग) ग्राम - रावतखेड़ा  
 (घ) क्षेत्रफल- भूमि 3.976 हेक्टे. मकान 7589.61 वर्ग मीटर  
 भूमि

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति	सर्वे नंबर	कुल रकबा (है.)	प्रभावित रकबा (है.)	स्थित परिसम्पत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	रामलाल पुत्र जयसिंह जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्यप्रदेश	166/1	1.465	0.122	कुआ-1	
2	भारतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 शिवपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता रावतखेड़ा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	166/2	1.619	0.102	ट्यूबवेल-1	
3	कृष्णाकुंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	79/7	0.202	0.202		
4	महेन्द्र सिंह मंवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान माग	166/3	0.558	0.202	ट्यूबवेल-1	
		147/2	1.060	0.100		
5	मंवरलाल पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	9/1, 10, 11	0.137	0.137		
6	कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 कमलसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	9/2, 10, 11	0.032	0.032		
7	जगन्नाथ पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, रामप्रसाद पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, नारानी पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लक्ष्मण पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लालजी पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	13	0.024	0.024		
		14	0.065	0.065		
8	हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	16	0.020	0.020		
		17	0.036	0.036		
9	खुशीलाल पुत्र गणपत जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	18	0.049	0.049		
10	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता रावतखेड़ा श्यामपुर मध्यप्रदेश	19	0.053	0.053		
11	गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावित्रीबाई बेवा चुन्नीलाल, कमलबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति चमार पता रावतखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश	20/1	0.032	0.032		

12	देवीराम पुत्र धन्ना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	20/2	0.036	0.036		
13	भोला पुत्र धन्ना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	20/3	0.036	0.036		
14	ब्रजनाथसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश	21/1	0.971	0.060		
15	सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश	21/2	0.097	0.060		
16	महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2, प्रवीणसिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	21/3	0.101	0.060		
17	कृष्णकुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	21/4	0.101	0.060		
18	पुनिया बाई बेवा हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राजेश पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, विष्णु पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राम ना.बा. पुत्र हरकिशन सर. माता जाति सेरिया हिस्सा 1/5, कृष्ण पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	22	0.109	0.060		
19	नन्नू गोकल पिता बंशी गोरिया, पिता देव्या पुनिया बाई बेवा हरकिशन, कृष्णाबाई ना.बा. राजेश राम ना.बा पिता हरकिशन सर. माता. स्वयं जाति सेरिया पता सा.देह भूमिस्वामी	23	0.117	0.117		
20	हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/1	0.150	0.075	टयूबवेल-1	
21	मानकुंवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	24/2	0.073	0.036		
22	बलराम सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/3	0.024	0.012		
23	कृपाल सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/4	0.024	0.012		
24	राजेन्द्र सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/5	0.029	0.012		
25	जगन्नाथ सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	207/56/2	0.235	0.235		
26	धनराज सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	207/56/3	0.416	0.416		
27	जयपाल सिंह पुत्र ब्रजनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	112/2	0.255	0.255		
28	कृष्णाबाई पत्नी रामलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	162/3	0.571	0.080	टयूबवेल-1	
29	भवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	152/5	0.202	0.202	टयूबवेल-1	
30	महेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2, वीरेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता निवासी आछारोही श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	147/1	1.113	0.166		
31	महेन्द्र सिंह भवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	147/4	0.097	0.015		
32	बद्रीप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	4/2	1.214	0.408		
33	देवीसिंह पुत्र शिगूरिश जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	25/2	0.230	0.230	टयूबवेल-1	
34	शिवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	26	0.045	0.045		
35	विक्रम सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	28/2	0.089	0.030	टयूबवेल-1	

36	तंवरलाल पुत्र भवरलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	44/1/1	0.057	0.033	टयूबवेल-1	
37	गोपाल पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	193/12	0.049	0.049		
		कुल रकबा	11.793	3.976		

## आबादी में स्थित मकान

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	रिमार्क
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम	12	1	कच्चा मकान	7.63	3.80	28.99	32.24	
					2.50	1.30	3.25		
2	कोमलबाई पति परसुराम	12	2	कच्चा मकान	8.80	3.10	27.28	95.12	
				टीन शेड	7.60	3.80	28.88		
					8.80	3.20	28.16		
					3.60	3.00	10.80		
3	गंगाराम पिता चुन्नीलाल	12	3	पक्का मकान	8.30	4.00	33.20	80.40	
				कच्चा मकान	4.00	4.00	16.00		
				टीन शेड	8.00	3.90	31.20		
4	जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ	12	4	कच्चा मकान	10.70	3.60	38.52	177.26	
				टीन शेड	16.95	3.70	62.72		
				टीन शेड	15.30	3.40	52.02		
					8.00	3.00	24.00		
5	शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	12	5	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	7.50	3.90	29.25	79.65	
					4.00	3.80	15.20		
				टीन शेड	8.80	4.00	35.20		
6	प्रवीणसिंह पिता प्रकाश	12	6	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	9.50	3.90	37.05	52.25	
					4.00	3.80	15.20		
7	प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	7	कच्चा मकान	9.65	4.10	39.57	105.10	
				टीन शेड	6.90	3.90	26.91		
				टीन शेड	3.90	3.10	12.09		
					9.65	2.75	26.54		
8	ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह	12	8	कच्चा मकान	6.80	3.85	26.18	26.18	
9	लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह	12	9	पक्का मकान	10.60	7.35	77.91	137.20	
				कच्चा मकान	4.00	3.93	15.72		
				टीन शेड	4.30	3.90	16.77		
					6.70	4.00	26.80		
10	ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह	12	10	पक्का मकान	7.80	3.20	24.96	235.30	
				कच्चा मकान	14.90	6.60	98.34		
				टीन शेड	14.00	8.00	112.00		
11	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	11	पक्का मकान	4.00	3.40	13.60	280.78	
					6.90	4.70	32.43		
					10.50	3.50	36.75		
				कच्चा मकान	17.00	3.50	59.50		
					3.70	7.40	27.38		
				टीन शेड	7.40	5.30	39.22		
					5.30	7.40	39.22		
					8.60	3.80	32.68		
12	गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	12	पक्का मकान	8.50	7.30	62.05	88.45	
				टीन शेड	6.60	4.00	26.40		
13	भोनीप्रकाश पिता विजयासिंह	12	13	पक्का मकान	13.10	7.48	97.99	97.99	
14	गोपाल पिता भोनीप्रकाश	12	14	कच्चा मकान	6.70	3.40	22.78	54.84	
				टीन शेड	3.80	3.70	14.06		
					5.00	3.60	18.00		
15	कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश	12	15	कच्चा मकान	8.10	3.70	29.97	59.13	
				टीन शेड	8.10	3.60	29.16		
16	बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	16	पक्का मकान	6.40	6.15	39.36	75.56	
				कच्चा मकान	6.35	5.70	36.20		
17	गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह	12	17	कच्चा मकान	9.73	6.95	67.62	109.02	
					12.43	3.33	41.39		
				पक्का मकान	12.80	5.00	64.00		

18	महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह	12	18	प्रातः फलार	4.50	3.30	14.85	165.72	
				पक्का मकान फर्स्ट फ्लोर	5.70	5.15	29.36		
					6.00	5.16	30.96		
					5.90	4.50	26.55		
19	देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	12	19	पक्का मकान	10.30	8.70	89.61	89.61	
20	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल	12	20	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.23	4.50	28.04	52.20	
				कच्चा मकान	3.60	3.50	12.60		
				कच्चा मकान	3.40	3.40	11.56		
21	तंवरलाल पिता भंवरलाल	12	21	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.23	3.93	24.48	47.03	
				कच्चा मकान	5.50	4.10	22.55		
22	पिकूसिंह पिता भंवरलाल	12	22	कच्चा मकान	11.00	3.60	39.60	87.60	
					5.20	5.00	26.00		
				टीन शेड	11.00	2.00	22.00		
23	जालमसिंह पिता सैतानसिंह	12	23	कच्चा मकान	8.30	7.00	58.10	58.10	
24	भंवरलाल पिता जालमसिंह	12	24	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	8.50	7.00	59.50	119.00	
					8.50	7.00	59.50		
25	भंवरलाल, किशोरसिंह पिता रघुनन्दन	12	25	पक्का मकान	9.00	8.20	73.80	81.80	
				कच्चा मकान	4.00	2.00	8.00		
26	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	12	26	पक्का मकान	7.75	4.65	36.04	89.69	
				कच्चा मकान	3.00	3.00	9.00		
				टीन शेड	9.50	4.70	44.65		
27	स्वरूपकुंवर पति श्यामसिंह	12	27 (1)	कच्चा मकान	5.25	5.40	28.35	70.22	
					6.40	3.80	24.32		
				टीन शेड	2.50	3.80	9.50		
					2.30	3.50	8.05		
28	चतरभान पिता श्यामसिंह	12	27 (2)	कच्चा मकान	5.25	5.40	28.35	70.22	
					6.40	3.80	24.32		
				टीन शेड	2.50	3.80	9.50		
					2.30	3.50	8.05		
29	विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल	12	28	पक्का मकान	7.50	3.40	25.50	25.50	
30	राजपाल पिता मांगीलाल	12	29	पक्का मकान	7.50	3.40	25.50	25.50	
31	जीवनसिंह पिता मांगीलाल	12	30	कच्चा मकान	8.80	3.60	31.68	31.68	
32	राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह	12	31	टीन शेड	9.40	3.50	32.90	65.95	
					3.70	3.50	12.95		
					6.70	3.00	20.10		
33	मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह	12	32	टीन शेड	6.70	3.90	26.13	26.13	
34	संतोष कुंवर पति देवीसिंह	12	33	टीन शेड	6.40	3.80	24.32	24.32	
35	जगदीश पिता चंदरसिंह	12	34	कच्चा मकान	6.30	3.90	24.57	24.57	
36	हर्षकुंवर पति चंदरसिंह (मृतक)	12	35	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.00	4.00	24.00	24.00	भवनस्वामी के फोटो हो जाने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया है तथा नामांतरण परचात वैध थारिसानों को पुआवजा भुगतान किया जावेगा।
37	हिंदुसिंह पिता चंदरसिंह	12	36	पक्का मकान	9.00	4.50	40.50	79.94	
					3.70	3.20	11.84		
				कच्चा मकान	4.00	3.40	13.60		
38	सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह	12	37	कच्चा मकान	6.70	3.70	24.79	53.05	
					7.40	2.70	19.98		
				टीन शेड	3.60	2.30	8.28		

39	श्यामकुंवर पति सरदारसिंह	12	38	कच्चा मकान	7.70	3.00	23.10	100.63	पति-पत्नी को एक इकाई माना गया है इस लिये श्यामकुंवर का नाम परिवार सूची में पृथक से नहीं है।
					4.70	3.10	14.57		
					2.80	2.30	6.44		
				टीन शेड	10.40	3.60	37.44		
					5.30	3.60	19.08		
40	दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी	12	39	पक्का मकान	8.40	2.90	24.36	45.80	
41	नरेन्द्र पिता दिनेश	12	40	टीन शेड	6.70	3.20	21.44	85.80	
					8.30	7.80	64.74		
					5.20	2.70	14.04		
42	मांगीलाल पिता अनारसिंह	12	41	पक्का मकान	2.70	2.60	7.02	86.70	
					4.50	4.00	18.00		
				कच्चा मकान	6.20	3.70	22.94		
					3.20	2.70	8.64		
43	मोहनसिंह पिता रामदयाल	12	42	टीन शेड	3.20	3.00	9.60	66.20	
					6.40	4.30	27.52		
					3.50	3.00	10.50		
44	मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह	12	43	पक्का मकान	4.89	3.30	16.14	100.56	
					9.20	4.30	39.56		
				कच्चा मकान	9.90	4.60	45.54		
					9.00	3.50	31.50		
45	बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश	12	44	टीन शेड	4.30	2.10	9.03	19.80	
					6.90	2.10	14.49		
46	चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह	12	45	कच्चा मकान	5.50	3.60	19.80	19.80	
47	नरायणसिंह पिता रामनाथ	12	46	पक्का मकान	10.10	6.80	68.68	68.68	
48	तवरं कवरं पति हुकमसिंह	12	47	कच्चा मकान	6.70	6.20	41.54	41.54	
					11.00	5.90	64.90		
					7.30	3.60	26.28		
49	महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह	12	48	पक्का मकान	4.10	3.00	12.30	113.36	
					3.80	2.60	9.88		
				कच्चा मकान	11.10	3.70	41.07		
					7.30	3.00	21.90		
50	अंतरसिंह पिता साजनसिंह	12	49	टीन शेड	8.10	3.00	24.30	101.31	
					5.20	2.70	14.04		
					9.45	3.40	32.13		
51	जुगनकवरं पति साजनसिंह	12	50	कच्चा मकान	5.70	3.10	17.67	49.8	
					7.70	3.40	26.18		
					3.30	2.40	7.92		
52	बलराम पिता बिष्णुनाथ	12	51	टीन शेड	5.30	3.30	17.49	51.98	
					7.70	3.50	26.95		
				7.70	3.25	25.03			
53	विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह	12	52	कच्चा मकान	4.50	2.60	11.70	56.60	
					2.50	3.60	9.00		
				टीन शेड	4.50	3.50	15.75		
					6.50	3.10	20.15		
54	राजेशसिंह पिता विष्णुनाथ	12	53	कच्चा मकान	4.50	2.60	11.70	56.60	
					2.50	3.60	9.00		
				टीन शेड	4.50	3.50	15.75		
					6.50	3.10	20.15		
55	कपालसिंह पिता बिष्णुनाथ	12	54	पक्का मकान	10.40	4.60	47.84	93.05	
				कच्चा मकान	6.85	6.60	45.21		
				पक्का मकान (प्रथम तल)	14.10	5.00	70.50		

56	मांगीलाल पिता शंकरसिंह	12	55	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	12.40	6.00	74.40	228.00	
				कच्चा मकान	10.60	3.00	31.80		
					5.00	3.00	15.00		
				कच्चा मकान (द्वितीय पल)	7.00	4.00	28.00		
				ईट की दीवार	19.30	0.225	4.34		
17.60	0.225	3.96							
57	भंवरलाल पिता मोतिसिंह	12	56	पक्का मकान	8.95	4.13	36.96	83.24	
				कच्चा मकान	8.90	3.00	26.70		
					4.50	4.35	19.58		
58	राजेन्द्र विक्रम पिता मोतिसिंह	12	57	पक्का मकान ग्राउण्ड फ्लोर	11.20	8.20	91.84	191.66	
				कच्चा मकान फर्स्ट फ्लोर	8.10	4.60	37.26		
				टीन शेड	11.20	3.20	35.84		
					6.80	3.93	26.72		
59	मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह	76/1	70	कच्चा मकान	8.80	7.80	68.64	68.64	
60	ओमप्रकाश पिता बलराम	12	41	कच्चा मकान	8.10	3.60	29.16	37.61	परिवार सूची में सरल क्रमांक 91 पर स्थित है।
				टीन शेड	3.25	2.60	8.45		
कुल योग								4897.45	
निजी भूमि में स्थित मकान									
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	रिमार्क
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	हरदयाल पिता तेजसिंह	9/1,10,11	18	टीन शेड	9.20	3.45	31.74	31.74	
2	लाडसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	19	कच्चा मकान	16.70	7.70	128.59	128.59	
3	लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	20	पक्का मकान	8.45	4.45	37.60	42.21	
				ईट की दीवार	20.50	0.23	4.61		
4	रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	21	कच्चा मकान	11.90	7.00	83.30	83.30	
5	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह	9/1,10,11	22	टीन शेड	9.10	3.10	28.21	28.21	
6	मोतीसिंह पिता तेजसिंह	9/1,10,11	23	कच्चा मकान	16.00	7.70	123.20	160.09	परिवार सूची में सरल क्रमांक 105 पर स्थित है।
				टीन शेड	7.10	3.70	26.27		
				ईट की दीवार	14.80	0.225	3.33		
				पक्का चबूतरा	2.70	2.700	7.29		
7	जगदीश पिता समन्दरसिंह	9/2,10,11	24	पक्का मकान ग्राउण्ड फ्लोर	10.50	8.00	84.00	176.71	
				कच्चा मकान फर्स्ट फ्लोर	8.20	4.00	32.80		
					6.80	4.00	27.20		
				कच्चा मकान	6.25	2.45	15.31		
					4.35	4.00	17.40		
8	इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह	9/2,10,11	25	पक्का मकान	10.45	8.10	84.65	113.13	
	टीन शेड	8.90	3.20	28.48					
9	तेजसिंह पिता गोविन्दसिंह	9/2,10,11	26	कच्चा मकान	8.60	7.10	61.06	61.06	
10	कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह	9/2,10,11	27	टीन शेड	10.50	4.30	45.15	45.15	
				पक्का मकान	2.40	1.00	2.40		

11	हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह	19	31	कच्चा मकान	12.70	4.60	58.42	148.89	
					12.10	4.20	50.82		
				टीन शेड	5.90	4.70	27.73		
					3.40	2.80	9.52		
12	विजय पिता भोलाराम	20/3	32	टीन शेड	8.90	3.90	34.71	34.71	अभिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नहीं होने से परिवार सूची में शामिल नहीं है।
13	हरिप्रसाद पिता भोलाराम	20/3	34	टीन शेड	7.60	6.00	45.60	45.60	
14	प्रमोद पिता देवीराम	20/2	36	कच्चा मकान	6.00	5.40	32.40	59.76	
				टीन शेड	7.60	3.60	27.36		
15	भुकेश पिता भोलाराम	20/3	37	टीन शेड	6.00	3.80	22.80	22.80	
16	देवीराम पिता धन्नालाल	20/2	38	टीन शेड (सीमेन्ट घददर)	7.20	2.90	20.88	20.88	
17	आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद	23	39	टीन शेड	8.00	4.00	32.00	32.00	
18	लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल	23	40	पक्का मकान	8.50	8.50	72.25	72.25	
19	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	24/1	42	पक्का मकान	7.9	4.3	33.97	33.97	परिवार सूची में सरल क्रमांक 51 पर स्थित है।
20	गोपालसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43 (1)	कच्चा मकान	3.8	6.2	23.56	23.56	
21	प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43 (2)	कच्चा मकान	3.8	6.2	23.56	23.56	
22	दीपसिंह पिता पदमसिंह	24/1	44	कच्चा मकान	7.6	4.8	36.48	36.48	
23	आनंदसिंह पिता दीपसिंह	24/1	45	पक्का मकान	13.9	5	69.5	123.18	
					4.4	4.7	20.68		
				कच्चा मकान	10	3.3	33		
24	रघुनन्दन पिता दीपसिंह	24/1	46	पक्का मकान	8.30	4.70	39.01	39.01	परिवार सूची के सरल क्रमांक 50 पर स्थित है।
25	धनराजसिंह पिता दीपसिंह	24/1	47	पक्का मकान	9.70	8.90	86.33	96.73	
				टीन शेड	4.00	2.60	10.40		
26	डूंगरसिंह पिता दीपसिंह	24/1	48	पक्का मकान	7.55	4.20	31.71	108.99	
				टीन शेड	9.20	8.40	77.28		
27	मांगीलाल, देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	25/2	49	कच्चा मकान	12.60	3.65	45.99	136.15	देवीसिंह परिवार सूची के सरल क्रमांक 33 पर स्थित है।
					12.60	3.60	45.36		
				टीन शेड	7.00	6.40	44.80		
28	शिवसिंह पिता तेजसिंह	26	50	पक्का मकान	9.55	4.00	38.20	102.69	
					12.45	3.30	41.09		
				कच्चा मकान	6.00	3.90	23.40		



29	कमलसिंह पिता शिवसिंह	26	51	कच्चा मकान	17.20	3.65	62.78	181.46	
				टीन शेड	17.20	3.20	55.04		
					17.20	3.70	63.64		
30	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	28/2	52	पक्का मकान	12.36	3.73	46.10	46.10	
31	गोविन्द सिंह पिता प्यारसिंह	28/2	53	पक्का मकान	13.80	4.00	55.20	65.93	
				कच्चा मकान	3.30	3.25	10.73		
32	जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह	28/2	54	कच्चा मकान	12.80	4.15	53.12	90.42	
					4.75	2.80	13.30		
				टीन शेड	10.00	2.40	24.00		
33	संतोष पिता बाबूलाल	193/12	73	कच्चा मकान	4.60	3.70	17.02	53.57	
				टीन शेड	8.50	4.30	36.55		
34	कैलाश पिता लालजीराम (मृतक)	193/12	74	कच्चा मकान	4.50	4.00	18.00	18.00	भवनस्वामी के फोट हो जाने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया है तथा वैध वारिस गब्बर ग्राम में निवासरत नहीं होने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।
35	राजेश पिता बदीप्रसाद	193/12	75	कच्चा मकान	9.80	3.50	34.30	53.90	परिवार सूची में सरल कमाक 167 पर अपने पिता के साथ नाम स्थित है।
				टीन शेड	9.80	2.00	19.60		
36	राजेंद्रसिंह पिता अर्जुन सिंह	74/1	76	टीन शेड	15.40	7.70	118.58	118.58	1 मकान आबादी में तथा 1 मकान निजी भूमि में स्थित है तथा परिवार सूची में सरल कमाक 17 पर स्थित है।

37	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	29	77	पक्का मकान	8.00	4.10	32.80	32.80	निजी भूमि में स्थित मकान सरल कमाक 30 एवं सरल कमाक 37 पर स्थित है परिवार सूची में सरल कमाक 137 पर स्थित है।
कुल योग								2692.16	

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र कमांक 156/रीडर/2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 तथा पत्र कमांक 373/रीडर/2023 श्यामपुर दिनांक 20.02.2023 के अनुसार संभावित डूब परिवारों की सूची

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	संभावित पात्र परिवार			रिमार्क
						18 वर्ष से उपर	विधवा/तलाकशुदा/अन्य	परिवार	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	
आबादी में									
1	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा			1	
2	कोमलबाई बेवा परसुराम	कोमलबाई	स्वयं	53	अजा		1		
3	गंगाराम पिता चुन्नीलाल	गंगाराम	स्वयं	50	अजा			1	
4		सावित्रीबाई	माता	72	अजा		1		
5	जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ	जंगबहादुर	स्वयं	55	सामान्य			1	
6		राजपाल	पुत्र	23	सामान्य	1			
7		भैरव कुंवर	माता	75	सामान्य		1		
8	शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	शेलेन्द्रसिंह	स्वयं	40	सामान्य			1	
9	प्रवीणसिंह पिता प्रकाश	प्रवीणसिंह	स्वयं	28	सामान्य			1	
10	प्रणवपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	प्रणवपालसिंह	स्वयं	47	सामान्य			1	नरसिंहगढ़ में व्यवसाय है परिवार गाँव में निवासरत है।
11	ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह	ओमप्रकाश	स्वयं	55	सामान्य			1	
12	लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह	लक्ष्मणसिंह	स्वयं		सामान्य			1	
13		देवेन्द्र	पुत्र	23	सामान्य			1	
14		हेमेन्द्र	पुत्र	22	सामान्य	1			नरसिंहगढ़ में बैंक में गार्ड की नोकरी करता है।
15	ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह	ओमप्रकाश	स्वयं	55	सामान्य			1	
16		उमा	पुत्री	19	सामान्य	1			
17	राजेंद्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	राजेंद्रसिंह	स्वयं	46	सामान्य			1	
18		इन्द्रपाल सिंह सोलंकी	पुत्र	20	सामान्य			1	
19		छाया सोलंकी	पुत्री	18	सामान्य	1			
20	गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	गोपालसिंह	स्वयं	50	सामान्य			1	
21		लोकेन्द्रसिंह	पुत्र	22	सामान्य	1			
22		उपेंद्र सोलंकी	पुत्र	30	सामान्य			1	

23	भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह	भोनीप्रकाश	स्वयं	62	सामान्य			1	
24	गोपाल पिता भोनीप्रकाश	गोपाल	स्वयं	38	सामान्य			1	
25	कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश	कृष्णपाल	स्वयं	40	सामान्य			1	
26	बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	बलरामसिंह	स्वयं	45	सामान्य			1	
27		जगदीश	पुत्र	22	सामान्य	1		-	
28		कृष्णा कुंवर	माता	65	सामान्य		1		
29	गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	53	सामान्य			1	
30		शुभम	पुत्र	24	सामान्य	1			गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।
31		राजवर्धन सिंह	पुत्र	25	सामान्य			1	गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।
32	महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह	महेन्द्रपाल	स्वयं	24	सामान्य	1			
33	देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	देवीसिंह	स्वयं	50	सामान्य			1	
34		मोहन	पुत्र	23	सामान्य	1			
35		कृष्णपाल	पुत्र	24	सामान्य			1	
36		मधु	पुत्री	19	सामान्य	1			
37	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	31	सामान्य			1	
38		निशा	पुत्री	18	सामान्य	1			
39	तंवरलाल पिता भंवरलाल	तंवरलाल	स्वयं	45	सामान्य			1	
40		प्रदुम	पुत्र	22	सामान्य	1			
41		अरुण	पुत्र	18	सामान्य	1			
42	पिकूसिंह पिता भंवरलाल	पिकूसिंह	स्वयं	40	सामान्य			1	
43	जालमसिंह पिता शैतानसिंह	जालमसिंह	स्वयं	70	सामान्य			1	
44		राम कंवर	माता	88	सामान्य		1		
45		उमा	पुत्री	18	सामान्य	1			
46	भंवरलाल पिता जालमसिंह	भंवरलाल	स्वयं	38	सामान्य			1	
47		मधुकुंवर	पुत्री	18	सामान्य	1			
48	भंवरलाल पिता रघुनन्दन	भंवरलाल	स्वयं	26	सामान्य			1	
49	किशोरसिंह पिता रघुनन्दन	किशोरसिंह	स्वयं	22	सामान्य			- 1	
50		रघुनन्दन	पिता	67	सामान्य			1	
51	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	जगन्नाथसिंह	स्वयं	37	सामान्य			1	
52	स्वरूपकुंवर पति श्यामसिंह	स्वरूपकुंवर	स्वयं	51	सामान्य			1	
53	चतरमानसिंह पिता श्यामसिंह	चतरमानसिंह	स्वयं	30	सामान्य			1	
54	विष्णुकंवर बेवा शिवपाल	विष्णुकंवर	स्वयं	36	सामान्य		1		
55	राजपाल पिता मांगीलाल	राजपाल	स्वयं	37	सामान्य			1	
56	जीवनसिंह पिता मांगीलाल	जीवनसिंह	स्वयं	32	सामान्य			1	कुसुंवर में व्यवसाय है परिवार गाँव में निवासरत है।
57	राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	44	सामान्य			1	
58	मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह	मेहरबानसिंह	स्वयं	45	सामान्य			1	
59	संतोष कुंवर बेवा देवीसिंह	संतोष कंवर	स्वयं	44	सामान्य		1		
60	जगदीश पिता चंदरसिंह	जगदीश	स्वयं	40	सामान्य			1	

61	हिन्दुसिंह पिता चंदरसिंह	हिन्दुसिंह	स्वयं	65	सामान्य			1	
62	सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह	सरदारसिंह	स्वयं	78	सामान्य			1	
63		ममता कुंवर	पुत्रवधू	38	सामान्य		1		
64		संजू सिंह	पुत्र	28	सामान्य	1			
65		दिलीप	पुत्र	58	सामान्य			1	
66		हेमन्द्र	पुत्र	23	सामान्य	1			
67		महिपाल	पुत्र	24	सामान्य	1			
68	दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी	दिनेश	स्वयं	55	पि.वर्ग			1	
69		अनिल	पुत्र	32	पि.वर्ग	1			गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।
70		सुनिल	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।
71	नरेन्द्र पिता दिनेश	नरेन्द्र	स्वयं	37	पि.वर्ग			1	
72	मांगीलाल पिता अनारसिंह	मांगीलाल	स्वयं	48	सामान्य			1	
73		विकमसिंह	पुत्र	27	सामान्य	1			
74		लोकेन्द्रसिंह	स्वयं	20	सामान्य			1	हाइस्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि 20/08/2000 दर्ज है।
75	मोहनसिंह पिता रामदयाल	मोहनसिंह	स्वयं	28	सामान्य			1	
76		रामदयाल	पिता	60	सामान्य			1	
77	मनोहरसिंह पिता रामनाथसिंह	मनोहरसिंह	स्वयं	50	सामान्य			1	
78		कमल	पुत्र	20	सामान्य	1			
79	बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश	बलवीरसिंह	स्वयं	30	सामान्य			1	
80	चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह	चन्द्रप्रकाश	स्वयं	70	सामान्य			1	
81		राधा	पुत्री	25	सामान्य	1			
82	नारायणसिंह पिता रामनाथ	नारायणसिंह	स्वयं	69	सामान्य			1	
83	तंवर कंवर बेवा हुकमसिंह	तंवर कंवर	स्वयं	48	सामान्य		1		
84		जगपाल	पुत्र	20	सामान्य	1			
85		दीपक	पुत्र	18	सामान्य	1			
86	महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह	महेन्द्रसिंह	स्वयं	30	सामान्य			1	
87	अंतरसिंह पिता सजनसिंह	अन्तरसिंह	स्वयं	48	सामान्य			1	
88	जुगनकंवर बेवा सजनसिंह	जुगनकंवर	स्वयं	80	सामान्य		1		
89	बलराम पिता विष्णुनाथ	बलराम	स्वयं	45	सामान्य			1	
90		नेपाल	पुत्र	21	सामान्य	1			
91		ओमप्रकाश	पुत्र	21	सामान्य	1			
92	विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह	विष्णुनाथसिंह	स्वयं	67	सामान्य			1	
93	राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	32	सामान्य			1	
94	कृपालसिंह पिता विष्णुनाथ	कृपालसिंह	स्वयं	40	सामान्य			1	
95	मांगीलाल पिता शंकरसिंह	मांगीलाल	स्वयं	50	सामान्य			1	

96		चीनू	पुत्र	20	सामान्य	1		जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 01/01/2000 एवं हाइस्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि 26/12/2000 दर्ज है।
97		विशेश सिंह सोलंकी	पुत्र	19	सामान्य		1	
98		मानकुंवर	माता	80	सामान्य		1	
99	भंवरलाल पिता मोतीसिंह	भंवरलाल	स्वयं	55	सामान्य		1	
100		मनोज	पुत्र	25	सामान्य		1	
101	राजेन्द्र पिता मोतीसिंह	राजेन्द्र	स्वयं	38	सामान्य		1	वर्तमान में भोपाल में पुलिस में पदस्थ है परिवार गाँव में निवासरत है।
102	विक्रम पिता मोतीसिंह	विक्रम	स्वयं	50	सामान्य		1	
103		ज्ञानसिंह	पुत्र	25	सामान्य		1	
104		योगेन्द्र	पुत्र	22	सामान्य	1		
105		मोतीसिंह	पिता	74	सामान्य		1	
106	मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह	मनमोहनसिंह	स्वयं	30	सामान्य		1	
निजी भूमि में								
107	दीपसिंह पिता पदमसिंह	दीपसिंह	स्वयं	76	सामान्य		1	निजी भूमि के अतिरिक्त एक मकान शाराकीय भूमि में स्थित है।
108		आनन्द	पुत्र	40	सामान्य		1	
109	हरदयाल पिता तेजसिंह	हरदयाल	स्वयं	68	सामान्य		1	
110	लाडसिंह पिता हरदयालसिंह	लाडसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1	
111		कृष्णपाल	पुत्र	21	सामान्य	1		
112	लक्ष्मणसिंह पिता हरदयालसिंह	लक्ष्मणसिंह	स्वयं	33	सामान्य		1	
113	रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह	रामपालसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1	
114	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह	समन्दरसिंह	स्वयं	63	सामान्य		1	
115	जगदीश पिता समन्दरसिंह	जगदीश	स्वयं	50	सामान्य		1	
116	इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह	इश्वरसिंह	स्वयं	52	सामान्य		1	
117	तेजसिंह पिता मोतीसिंह	तेजसिंह	स्वयं	80	सामान्य		1	
118	कृष्णाकुंवर बेदा भगवान सिंह	कृष्णाकुंवर	स्वयं	72	सामान्य		1	
119		कमलसिंह	पुत्र	24	सामान्य	1		
120	हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह	हरगोविन्द	स्वयं	55	सामान्य		1	
121		विजेन्द्र	पुत्र	25	सामान्य		1	गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।
122		छत्रपाल	पुत्र	22	सामान्य	1		
123	हरिप्रसाद पिता भोलाराम	हरिप्रसाद	स्वयं	45	अजा		1	
124	प्रमोद पिता देवीराम	प्रमोद	स्वयं	40	अजा		1	
125	मुकेश पिता भोलाराम	मुकेश	स्वयं	50	अजा		1	
126	देवीराम पिता धन्नालाल	देवीराम	स्वयं	70	अजा		1	

127	आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद	आत्माराम	स्वयं	50	अजजा			1	
128	लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा			1	
129		सोनू	पुत्र	24	अजा			1	
130	गोपालसिंह पिता धनराजसिंह	गोपालसिंह	स्वयं	25	सामान्य	1			
131	प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	24	सामान्य	1			
132	धनराजसिंह पिता दीपसिंह	धनराज	स्वयं	42	सामान्य			1	
133	डूंगरसिंह पिता दीपसिंह	डूंगरसिंह	स्वयं	45	सामान्य			1	
134	मांगीलाल पिता शम्भूसिंह	मांगीलाल	स्वयं	68	सामान्य			1	
135	शिवसिंह पिता तेजसिंह	शिवसिंह	स्वयं	60	सामान्य			1	
136	कमलसिंह पिता शिवसिंह	कमलसिंह	स्वयं	44	सामान्य			1	
137	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	28	सामान्य			1	
138	गोविन्दसिंह पिता प्यारसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	34	सामान्य			1	
139	जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	37	सामान्य			1	
140		कृष्णा सोलंकी	माता	70	सामान्य		1		
141		कमला कुंवर	चाची	53	सामान्य		1		
142	संतोष पिता बाबूलाल	संतोष	स्वयं	50	अजा			1	
प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-18 में पारित अर्वाइड दिनांक 26.10.2021 के द्वारा मकान का भुगतान किया जा चुका है केवल विस्थापन किया जाना है।									
143	सुरेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह	सुरेन्द्रसिंह	स्वयं	63	सामान्य			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 1 पर 1 मकान शारदाकीय भूमि में स्थित है।
144	महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश	महेन्द्रसिंह	स्वयं	35	सामान्य			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 2
145	जितेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	50	सामान्य			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 3
146	चतरभानसिंह पिता जालमसिंह	चतरभानसिंह	स्वयं	25	सामान्य			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 5
147	धर्मेन्द्र पिता जालमसिंह	धर्मेन्द्र	स्वयं	28	सामान्य			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 6
148	पप्पीबाई पति उंकारसिंह	पप्पी बाई	स्वयं		अजा		1		प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 8
149	प्रितम पिता जयकिशन	प्रितम	स्वयं	37	अजा			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 9
150	विष्णु पिता गोरेलाल	विष्णु	स्वयं	40	अजा			1	प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 10 पर है एच अर्वाइड विमला पति गोरेलाल के नाम से पारित किया गया था जो फात हो चुकी है, वारिस विष्णु पिता गोरेलाल है।

151	हीरालाल पिता गोरेलाल	हीरालाल	स्वयं	32	अजा			1	पत्र ब का सरल कमांक
<p>अवार्ड में सलंगन परिशिष्ट ब के सरल कमांक 2 पर अंकित लक्ष्मण सिंह पिता प्रहलाद सिंह परिवार सूची में सरल कमांक 12 पर दर्ज है, परिशिष्ट ब के सरल कमांक 5 पर भंवरलाल आठ जालमसिंह परिवार सूची में सरल कमांक 46 पर दर्ज है, परिशिष्ट ब के सरल कमांक 12 पर लाडकुंवर के पति का नाम परिवार सूची में सरल कमांक 80 पर दर्ज है पुर्नवास नीति अनुसार पति-पत्नि को विस्थापन हेतु एक परिवार माना गया है। परिशिष्ट ब के सरल कमांक 13 पर अंकित भारतसिंह पिता गुलाब सिंह को ग्राम आछारोही में डूब क्षेत्र से बाहर निवासरत है। इस कारण से उपरोक्त वर्णित टीप अनुसार भवनस्वामी परिवार सूची में होने से पुनः नाम को नहीं शामिल किया गया है।</p>									
<b>शासकीय भूमि में</b>									
152	रामश्री पुत्री नन्लाल	रामश्री	स्वयं	50	अजा			1	
153	कनीराम पिता नंदराम	कनीराम	स्वयं	79	अजा		1		
154	मथुराप्रसाद पिता छन्नुलाल	मथुराप्रसाद	स्वयं	40	अजा			1	
155	जशरथ पिता इन्दरसिंह	जशरथ	स्वयं	48	सामान्य			1	
156		इन्दरसिंह	पिता	73	सामान्य			1	
157	बाबूलाल पिता पन्नालाल	बाबूलाल	स्वयं	64	अजा		1		
158		विजय	पुत्र	24	अजा	1			
159	मनोज पिता बाबूलाल	मनोज	स्वयं	28	अजा			1	
160	सुरेश पिता छन्नुलाल	सुरेश	स्वयं	52	अजा			1	
161	सोनू पिता भंवरलाल	सोनू	स्वयं	52	अजा			1	
162	महेश पिता भंवरलाल	महेश	स्वयं	45	अजा			1	
163	भंवरलाल पिता नन्लाल	भंवरलाल	स्वयं	60	अजा			1	
164		राजा	पुत्र	21	अजा	1			
165	बद्रीप्रसाद पिता पन्नालाल	बद्रीप्रसाद	स्वयं	71	अजा			1	
166		बबलेश	पुत्र	25	अजा	1			
167		राजेश	पुत्र	28	अजा			1	वर्तमान में भोपाल में निवासरत है
168	मनोहरसिंह पिता भंवरलाल	मनोहरसिंह	स्वयं	40	सामान्य			1	
169		भंवरलाल	पिता	72	सामान्य			1	
170		टमा	पुत्री	18	सामान्य	1			
171	भूपेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	भूपेन्द्रसिंह	स्वयं	37	सामान्य			1	
172	भोलाराम पिता धन्नालाल	भोलाराम	स्वयं	69	अजा			1	
<b>पीएम आवास</b>									
173	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम (डबल)	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा				
174	मुकेश पिता भोलाराम (डबल )	मुकेश	स्वयं	50	अजा				
175	देवीराम पिता धन्नालाल (डबल )	देवीराम	स्वयं	70	अजा				
176	छन्नुलाल पिता रतनलाल	छन्नुलाल	स्वयं	76	अजा			1	
177	संतोष पिता बाबूलाल (डबल)	संतोष	स्वयं	50	अजा				
	<b>योग -</b>					<b>38</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	
	<b>कुल योग कॉलम (9+10+11)</b>					<b>173 परिवार</b>			

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा नं. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टर एव ग्राम दुरगाव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/ब-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081/13/राजस्व-2/2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यन्त अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांक के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा।

7. प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल एक बार पचास हजार रुपये " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा।

9. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।

10. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय

12. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।

13. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।



17. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। 25. बच्चों के लिये ढ़ीडा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 में रकबा 19.543 है। भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 1-प्रकरण में वृहद स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन होने से प्रभावित परिवारों के इस्थल सत्यापन कार्य में अधिक समय लगने के कारण धारा-19 का प्रकाशन विहित अवधि में नहीं हो पाया है। सदभाविक विलंब होने से धारा-19(7) के अंतर्गत 12 मास की अवधि बढ़ायी जाती है।
- 2- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/मकान के रकबे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तो निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रवीण सिंह अढायच**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

पत्र क्र.-001-अ-82-भू-अर्जन-2022-2023

दमोह, दिनांक 6 जून 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

(1) भूमि का वर्णन- जिला :दमोह, तहसील:बटियागढ़, ग्राम:सुम्मेर, क्षेत्रफल: निजी भूमि 4.876 हे०/शास०भूमि 0.30 हे०

स.क्र.	हितग्राही का नाम	खसरा न.	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे०में)
1	2	3	4	5
1	नथुआ पिता मकुंदा यादव	99	1.13	0.63
2	कमला पिता ठलुवा प्रान पिता ठलुवा राघवेंद्र पिता गोरेलाल शारदा पुत्री गोरेलाल हेमा पुत्री गोरेलाल ववली पुत्री गोरेलाल क्रांति नाबा. पुत्री गोरेलाल संरक्षक माँ आनंद रानी, आनंद रानी वेवा गोरेलाल	92/2	3.20	0.97
3	इमरत सींग पिता कालूराम अहिरवार	92/1	1.18	0.628
4	महेंद्र कुमार पिता श्री सिंह	125/1	0.80	0.100
5	कलू पिता रामप्रसाद	128	0.31	0.050
6	मूलचंद पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी	96/1/1	0.56	0.560
7	हरिगोविंद पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी	96/1/2	0.56	0.560
8	राजकुमार पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी	96/1/3	0.56	0.560
9	पूरन लाल पिता पुरषोत्तम कुर्मी	96/1/4	0.56	0.560
10	महेंद्र पिता मूलचंद कुर्मी	43/1/2	2.00	0.120
11	दयाल सींग पिता हजारी सींग	154	0.46	0.138
		योग	11.24	4.876

भूमि का वर्णन- शासकीय भूमि

स.क्र.	हितग्राही का नाम	खसरा न.	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे०में)
1	2	3	4	5
1	बडू लाल पिता नन्नू सेवा खातेदार	91	1.50	0.30
		योग	1.50	0.30

1 - भूमि का वर्णन - निजी भूमि, जिला - दमोह तहसील .बटियागढ़ ग्राम -बरखेरा नाहर, क्षेत्रफल- निजी भूमि 1.691 हे०

स.क्र.	हितग्राही का नाम	खसरा न.	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे०में)
1	अनीता पंति लखन सींग	69/5	0.41	0.11
2	बिहारी पिता विन्द्रावन 1/4 भाग. लक्ष्मण पिता विन्द्रावन 1/4 भाग, पूरन सींग पिता विन्द्रावन 1/4	68/1	0.785	0.195

	भाग. राधारानी पति विन्द्रावन 1/4 भाग			
3	भगीरथ पिता नारायन सींग 1/3 भाग, कोमल सींग पिता नारायन सींग 1/3 भाग. पूरन सींग पिता नारायन सींग 1/3 भाग	30/1/1	0.386	0.066
4	सरोज रानी पति पूरन सींग	30/2/1	0.172	0.032
5	रामकृपाल पिता रामसहाय 1/3 भाग, गणेश सींग पिता रामसहाय 1/3 भाग, कनई सींग पिता रामसहाय 1/3 भाग	33/1/1	0.448	0.028
6	मंदिर श्री महावीर जी श्री गणेश जी बांके प्रकाश राव पुत्र केशव राव	140	1.11	1.11
7	गोविन्द पिता विशाल	95	0.67	0.15
		<b>योग</b>	<b>3.981</b>	<b>1.691</b>

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा निजी भूमि 6.567 हे./ शासकीय भूमि 0.30 हे.

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु ।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-09-अ-82-22-23-भू-अर्जन-23-4720

सागर, दिनांक 12 जून 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : पड़रिया कला जलाशय नहर योजना  
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : जैसीनगर
  3. ग्राम : करहद
  4. पट.ह.नं.- : 3
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.200 है.

:: अनुसूची 2 ::

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	रिनांक
					स्थित	अस्थित	पड़ती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नीतेश पिता राजा सिंह सा. महूआखेड़ा कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	664 /	0.33 /	0.05	0	0	निरंक	
2	मंदिर श्री जानकी रमण बांके मुह. विजयबहादुरसिंह बल्द रामदयालसिंग सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	665 /	3.73 /	0.43	0	0	निरंक	
3	सुमतरानी जोजे विजय बहादुर सिंह सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	668 / 669 /	0.17 / 2.02 /	0.03 0.20	0 0	0 0	निरंक निरंक	
5	राजनारायण वल्द विजय बहादुर सिंह सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	670 /	0.77 /	0.19	0	0	निरंक	
6	कृष्णबहादुर सिंह पिता विजय बहादुर सिंह यादव सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	671 /	2.87 /	0.22	0	0	निरंक	
7	गंधर्वसींग बल्द मंगलसींग यादव सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/2 /	0.40 /	0.04	0	0	निरंक	

8	राधे पिता पूरन प्रजापति सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/1	0.40	0.04	0	0	निरंक
9	फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	674/2	0.40	0.04	0	0	निरंक
		भूमिस्वामी	674/3	0.40	0.04	0	0	निरंक
11	रामकृष्ण वल्द लक्ष्मन प्रसाद सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/4	0.41	0.04	0	0	निरंक
12	रामसींग पिता पूरन जाति प्रजापति सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	675/1	0.80	0.10	0	0	निरंक
13	राधे पिता पूरन जाति प्रजापति सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	675/2	0.18	0.02	0	0	निरंक
14	फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	676	1.21	0.15	0	0	निरंक
15	संतोष पिता धोकल कुर्मी सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/1	1.24	0.07	0	0	निरंक
16	दशरथ पिता नोनीतराम जाति सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/2	0.80	0.15	0	0	निरंक
17	जबाहरसींग वल्द मंगलसींग यादव सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677/4	0.40	0.08	0	0	निरंक
18	रूपसींग कमलसींग पिता बाबूलाल यादव पता पड़रिया कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	678	2.45	0.23	0	0	निरंक
19	औंकारसींग बल्द बाबूलाल यादव सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	681	0.61	0.08	0	0	निरंक
20	विष्णुप्रसाद पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी, हरदास पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी, बद्री पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी, संतोषरानी पुत्री रगनाथ विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	682	1.74	0.13	0	0	निरंक
21	दशरथ पिता नोनीतराम कुर्मी सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	683/1	0.80	0.04	0	0	निरंक
22	कल्यानसींग नावा पिता रतरसींग पता सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	685	0.49	0.18	0	0	निरंक
23	गोपीबाई पति भगतसिंह सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	118/1	0.46	0.05	0	0	निरंक
24	संस्कार ना.बा. पिता व वली रोहित यादव सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	118/5	0.40	0.40	0	0	निरंक
25	विमलकुमार बल्द बाबूलाल जैन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	118/13	0.20	0.20	0	0	निरंक
योग:-			25	23.68	3.20	0	0	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के में दिनांक 18/07/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-43-अ-82-21-22-मू-अर्जन-23-4821

सागर, दिनांक 15 जून 2023

## (देखिये धारा 19 एवं 21)

## :: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 कि०मी० निर्माण परियोजना
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : पाली
4. पट. ह. न.- : 03
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.370

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लक्ष्मीप्रसाद पिता दुन्दे साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/1/1/2	0.60	0.11	0.00	0.00	निरंक
2	संतोषरानी पति हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/3/1	0.34	0.06	0.00	0.00	निरंक
3	रूपरानी बेबा मुंशी निवासी पाली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319/1	0.65	0.04	0.00	0.00	निरंक
4	हरिशंकर पिता घासीराम निवासी खैराई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320/3	0.39	0.08	0.00	0.00	निरंक
5	प्रहलाद पिता अच्छेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	378/5	0.40	0.03	0.00	0.00	निरंक
6	राजगोपाल पिता रामप्रसाद साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	372/1	0.49	0.05	0.00	0.00	निरंक
योग			06	2.870	0.370	0.00	0.00	

3. प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित न होने से पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 20/07/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण II परिश्रम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-04-अ-82-2022-23

रायसेन, दिनांक 14 जून 2023

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	चौरस प.ह.नं. रा.मि.मण्डल उदयपुर	कुल 1.004 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

## अनुसूची-2

## (प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण में ग्राम चौरास की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हरिशचंद्र आ. कच्छेदी प्रसाद ब्राह्मण	326/2/2	0.987	0.056
2	रामसिंह आ.हल्केवीर राजपूत	327/1	0.150	0.004
3	भगवान सिंह आ.टीकाराम राजपूत	327/2/1	0.150	0.040
4	छोटेला आ.छिदामीलाल राजपूत	327/2/2/1	0.150	0.020
5	हरिशचन्द्र आ.कच्छेदी प्रसाद 1/2 हेमन्त कुमार ना.बा.पुत्र नर्मदा प्रसाद	325/1	0.453	0.018
6	मोहन सिंह आ.नत्थू सिंह, राजपूत	325/2	0.364	0.026

7	नत्थू सिंह आ. भैयालाल राजपूत	325/3	0.453	0.054
8	नारायण सिंह आ.नत्थू सिंह राजपूत	325/4	0.357	0.062
9	सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह राजपूत	304/2/1	1.882	0.164
10	गोपाल सिंह आ.रविशंकर राजपूत	304/1/2	1.550	0.160
11	इन्द्रपाल सिंह आ.प्रहलाद सिंह राजपूत	466	0.599	0.040
12	सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत	484/1	2.023	0.090
13	गोधन सिंह आ.रामचरण राजपूत	483/1	2.023	0.116
14	गिरवर सिंह आ.नर्मदा सिंह राजपूत	483/2/1	1.072	0.056
15	सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह राजपूत	483/2/2	0.951	0.030
16	परशोतम आ.छोटेला राजपूत	454/2/3	0.725	0.008
17	विशाल बाई बेवा छोटेला राजपूत	454/2/1	0.809	0.060
<b>कुल योग-</b>			<b>14.698</b>	<b>1.004</b>

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 20 जून 2023

क्रमांक 01 / भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उराके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ हेतु ग्राम हाथीकुमारा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लिखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	हाथीकुमारा	0.770
कुलयोग :-		0.770

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (परसूलिया पहुँच मार्ग हेतु) :- ग्राम हाथीकुमारा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	शिवनारायण पिता किशोर जाति माडरी नि.या भू-स्वामी	203/6/2	0.632	0.130
योग :-		1	0.632	0.130
2	शंभूलाल पिता देवीराम जाति दामो निवासी ग्राम भू-स्वामी	203/1/2/2	0.639	0.130
योग :-		1	0.639	0.130
3	कमलाबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	203/1/3/2	0.185	0.050
योग :-		1	0.185	0.050
4	रामधरण, गोकुल पिता जगन्नाथ जाति धात्री नि.ग्राम भू-स्वामी	203/1/6	1.000	0.160
योग :-		1	1.000	0.160
कुलयोग :-		4	2.456	0.470

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (रायपुरिया पहुँच मार्ग हेतु) :- ग्राम हाथीकुमारा

5	आनदी पिता देवीराम जाति दामो निवासी ग्राम परसूलिया	198/1	1.366	0.100
योग :-		1	1.366	0.100
6	भरुसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायपुरिया भूमि-स्वामी	196/2	0.126	0.05
		196/4	0.119	0.05
योग :-		2	0.245	0.100
7	तोलाराम पिता भागीरथ जाति दामो निवासी ग्राम परसूलिया भूमि-स्वामी	196/1	0.118	0.05
		196/3	0.118	0.05
योग :-		2	0.236	0.100
कुलयोग :-		5	1.847	0.300
महायोग :-		9	4.303	0.770

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

। ।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 6 जून 2023

क्र. 955-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेंगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—चितरंगी  
(ग) ग्राम—झोंखो  
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—झोंखो 00068  
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.212 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
264	0.004	भू-अर्जन अधिकारी	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
196/1/1	0.130		
196/1/2	0.140		
196/2	0.140		
262/1/1	0.050		
262/1/2	0.008		
262/1/3	0.070		
296/2	0.150		
265	0.110		
263	0.290		
261/1/1	0.100		
261/1/2	0.010		
261/1/3	0.080		
261/1/4	0.010		
261/2	0.090		
260	0.400		
256	0.050		
284	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)
301	0.120		
287	0.150		
290	0.050		
292	0.010		
312	0.110		
316	0.500		
300/1	0.080		
300/2	0.070		
255	0.100		
297	0.070		
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग . .		3.212	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 957-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—चितरंगी
- (ग) ग्राम—खम्हरिया कला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खम्हरिया कला
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 6.011 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
213/2	0.410	भू-अर्जन अधिकारी	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु.
223	0.070		
257	0.030		
272	0.020		
275	0.720		
342	0.050		
401	0.220		
402	0.050		
407/2	0.140		

(1)	(2)	(3)	(4)
408	0.020		
410	0.030		
489	0.910		
490	0.370		
498	1.050		
498/2	0.090		
498/3	0.040		
501/1	0.360		
501/2/1/1/2	0.030		
501/2/1/2	0.030		
501/2/2	0.020		
502	0.120		
502/2	0.030		
1031	0.050		
463	0.005		
1126/1246	0.136		
1133	0.540		
211/2	0.190		
211/3	0.280		
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग		6.011	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 959-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—चितरंगी  
 (ग) ग्राम—कर्थुआ  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कर्थुआ  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.760 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
288/1/1/1		भू-अर्जन अधिकारी	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु.
288/1/1/2		रेलवे जबलपुर	
288/1/2			

(1)	(2)	(3)	(4)
288/1/3/1/1/1/1			
288/1/3/1/1/1/2			
288/1/3/1/1/2			
288/1/3/1/2			
288/1/3/2			
288/2/1			
288/2/2			
288/2/3			
288/2/4			
288/2/5/1			
288/2/5/2	0.480		
288/3/1/1/1/1/1			
288/3/1/1/1/1/5			
288/3/1/1/1/2			
288/3/1/1/2			
288/3/1/2			
288/3/1/3			
288/3/1/4			
288/3/3/5			
288/3/1/6			
288/3/1/7			
288/3/1/8			
288/3/2			
288/4/1			
288/4/2			
288/4/3			
288/4/4			
288/4/5			
288/4/6			
288/4/7/1/1			
288/4/7/1/2			
288/4/7/2			
288/5/1			
288/5/2			
288/5/3			
288/5/4			
288/6/1			
288/6/2			
288/6/3			
288/6/4/1			
288/6/4/2			
288/7			
291	0.280		
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग .	0.760		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 961-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समादात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—देवसर  
 (ग) ग्राम—भलुगढ़  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—भलुगढ़ 00050  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.351 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
303	0.030	भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
510/1	0.010		
510/2	0.005		
510/3	0.005		
510/4	0.010		
510/5	0.010		
562	0.060		
1855/1	0.010		
1855/2	0.010		
1858/1	0.01		
1858/2	0.01		
1858/3	0.020		
1976/1	0.161		
1976/2/1			
1976/3/1/1/2			
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग . .		0.351	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 963-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम मूजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेगुलर दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—देवसर  
 (ग) ग्राम—कुर्सा  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—देवसर  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.0530 हेक्टेयर.

पुराना खसरा नम्बर	परिवर्तित नया खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2301	2035	1.4100	भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2322	2056	0.0200		
2320	2054	1.0000		
	2053/1/1/1			
	2053/1/1/2			
	2053/1/2			
2319	2053/1/3	0.9300		
	2053/1/4			
	2053/1/5			
	2053/2			
	2038/1			
	2038/2			
	2038/3			
	2038/4			
	2038/5			
	2038/6			
	2038/7			
	2038/8			
	2038/9			
2304	2038/10	0.0550		
	2038/11			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2038/9/2			
	2038/13			
	2038/14			
	2038/15			
	2038/16			
	2038/17			
	2038/18			
	2038/19			
	2038/20			
	2038/21			
	2038/22			
	2042/1/1			
2308	2042/1/3	0.0100		
	2042/1/4			
	2042/1/5			
	2042/1/2			
	2042/2			
	2042/3			
	2042/4			
	2042/5			
	2042/6			
	2042/7			
	2042/8			
	2042/9			
	2042/10			
	2042/11			
	2042/12			
	2042/13			
	2042/14			
	2042/15			
	2045/1/1/1			
	2045/1/1/2			
	2045/1/2			
	2045/2			
	2045/3/1/1/1			
	2045/3/1/1/2			
	2045/3/1/2			
2311	2045/3/2	0.3700		
	2045/4			
	2045/5			
	2045/6			
	2045/7			
	2045/8			
	2045/9/1			





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2047/11			
	2047/12			
	2047/13			
	2047/14			
	2048/1			
2314	2048/2	0.0600		
	2048/3			
	2048/4			
2310	2044/1/1	0.0020		
	2044/1/2/1			
	2044/1/2/2			
	2044/2/1			
	2044/2/2			
	2044/2/3			
	2044/3/1			
	2044/3/2			
	2044/3/3			
	2044/4/1			
	2044/4/2			
	2044/4/3			
	2044/5/1			
	2044/5/2			
	2044/5/3			
11 किता	133 किता	4.0530		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 965-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—जियावन
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—जियावन
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.065 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
594/2/1/1	0.004	भू-अर्जन अधिकारी	ललितपुर-सिंगरौली रेल
594/2/1/2	0.004	रेलवे जबलपुर	लाइन के निर्माण हेतु
594/2/1	0.394		
594/2/2	0.008		
594/2/2	0.008		
594/2/3	0.008		
594/2/4	0.008		
594/2/5	0.008		
594/2/6	0.008		
594/2/7	0.008		
594/2/8	0.008		
594/2/9	0.004		
594/2/10	0.004		
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग		0.065	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अरूण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 9 जून 2023

क्र. 11-अ 82-2021-22-सोनखेड़ी-5983.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	सोनखेड़ी	0.398	सोनखेड़ी जलाशय के स्पिल चैनल के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जन का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दुर्गा पुत्री केशोराव, राजू पुत्र केशोरोव, योगेश पुत्र बन्डू, जया पुत्री बन्डू, सुनिल पिता जगन्नाथ, अनिल पिता जगन्नाथ, सन्ध्या पुत्री केशोराव, पवन पिता जगन्नाथ पता सोनखेड़ी.	364/2	0.409	0.398

- (2) चूँकि सोनखेड़ी जलाशय की स्पिल चैनल के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2023-24.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	पडेरी	निजी भूमि रकबा 3.44075 शासकीय भूमि रकबा 00.000 कुल रकबा 3.44075	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नचनौरा तालाब योजना के बांध निर्माण में आने वाले छूटे हुए रकवे ग्राम पडेरी तहसील गुनौर का (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 31 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-739-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बंधी	1.296	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराधवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की अजवाइन माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-740-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बदेरा	7.877	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराधवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की बदेरा माइनर व सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-741-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) ककरा	(4) 12.297	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर माइनर व सत्रमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-742-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) मझियार	(4) 0.301	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-743-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) सलैया	(4) 11.703	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-744-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) लटागांव	(4) 6.796	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की लटागांव माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-745-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं

कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				भारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कुवरी	3.124	कार्यपालन यंत्री, दांवी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र.).	बुरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 20 फरवरी 2023

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 380-भू-अर्जन-23-प्र. क्र. 10-अ-82-2022-23.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग आलोट के ताल महिदपुर मार्ग योजना" अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प. ह. नं. 25 के ग्राम चापलाखेड़ी के 08 खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	श्रवण पिता भागीरथ जाति भांभी	168	0.210	-	0.210	50 संतरे के पौधे
2	श्रवण पिता भागीरथ जाति भांभी	169	0.032	-	0.032	फलदार वृक्ष
3	जगदीश, बसंतीलाल पिता भंवरलाल रामकुंवर बेवा भंवरलाल दांगी.	170	0.024	-	0.024	-
4	दरबारसिंह पिता भंवरसिंह	224/2	0.024	-	0.024	-
5	सत्यनारायण पिता पन्नालाल तेली	252/1	0.032	-	0.032	-
6	घनश्याम पिता शंकरलाल, सुमित्रा बाई बेवा शंकरलाल तेली.	252/2	0.032	-	0.032	-
7	राजेन्द्र सिंह पिता शंभुसिंह, रीना कुंवर पति लक्ष्मण सिंह, तेजप्रताप सिंह, भानुप्रतापसिंह पिता लक्ष्मण सिंह नाबास माता रीनाकुंवर श्याम कुंवर पति शंभुसिंह जाति राजपुत.	266/2	0.006	-	0.006	-
8	राजेन्द्रसिंह पिता शंभुसिंह, रीना कुंवर पति लक्ष्मणसिंह, तेजप्रताप सिंह, भानुप्रतापसिंह पिता लक्ष्मण सिंह नाबास माता रीनाकुंवर श्याम कुंवर पति शंभुसिंह जाति राजपुत.	267/2	0.116	-	0.116	-

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 जून 2023

क्र. 784-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—मझगवां खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—2.241 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
806/1/2	0.003
806/2	0.303
812/2	0.009
810	0.047
811	0.039
809/1	0.814
809/2	0.596
809/3	0.430
योग . . .	2.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 14 जून 2023

क्र. 802-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—फुरताल खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—3.304 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
246/1	0.165
246/2/1/1	0.355
246/2/1/2	0.286
246/2/2	0.058
245/1	0.272
245/2	0.432
244/1	0.006
252/1/1/2	0.093
252/1/2	0.740
252/3/1	0.305
252/3/2	0.402
251/4/1/1	0.063
186/2	0.127
योग . . .	3.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 803-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—कठवरिया	285/2	0.304
(घ) क्षेत्रफल—9.711 हेक्टेयर.	285/3	0.254
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
58	0.200	285/4
57	0.036	284/1
56	0.419	284/4
55	0.012	280/1
54	0.233	280/2/1
53	0.034	280/2/2
52	0.306	280/2/3
51	0.172	279/1/2
50	0.126	279/2/1
67	0.043	279/2/2/1
68	0.726	279/2/2/2
69	0.036	279/2/3
70	0.042	281
71	0.005	282
73	0.039	
74	0.021	
75	0.063	
76	0.030	
78	0.015	
79	0.031	
80	0.042	
81	0.045	
84	0.230	
86/1/1/1	1.300	
86/1/2	0.031	
88	0.271	
92/1	0.414	
92/2	0.300	
93/2	0.064	
239/1/1	0.020	
239/1/2	0.019	
242/1/1/1/1/2	0.104	
242/1/1/2	0.197	
242/1/2	0.077	
242/1/3	0.268	
339/1/1/1	0.623	
339/1/2/1	0.706	
339/1/2/2	0.042	
338/1	0.300	
290/2/1	0.011	
291	0.460	
287	0.046	
285/1	0.300	
		योग . . . 9.711
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
		क्र. 804-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
		(क) जिला—सतना
		(ख) तहसील—नागौद
		(ग) नगर/ग्राम—फुरताल कला
		(घ) क्षेत्रफल—0.212 हेक्टेयर.
	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
		(हे. में)
	(1)	(2)
	58/2	0.212
		योग . . . 0.212

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 805-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—बैरागल  
(घ) क्षेत्रफल—1.384 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119/1	0.003
118/1/1/1/1/2	0.003
118/1/1/1/1/2	0.221
118/1/1/1/1/3	0.056
118/1/1/1/1/1/1	0.073
118/1/1/2/1	0.157
118/1/1/2/2	0.084
118/1/1/1/5	0.084
118/1/1/1/3	0.180
118/1/1/1/2	0.002
118/1/1/1/4	0.026
117/1	0.370
117/2	0.073
117/3	0.042
117/4	0.010
योग . .	<u>1.384</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 मई 2023

क्र. 151-1-रीडर-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम का नाम—कुक्षी  
(घ) क्षेत्रफल—0.031 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
237/6	0.021
237/7	0.010
योग . .	<u>0.031</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— जोबट परियोजना नहर से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, अलीराजपुर एवं कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16, कुक्षी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, अलीराजपुर के कार्यालय में अपेक्षा प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.